VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 खंड-1

DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW

+91-8468022022 | www.visionias.in

खंड : I **2**

अध्याय 1 : परिवर्तन का दौरः विकास, रोजगार और मांग में तेजी लाने का मुख्य प्रेरक निजी निवेश 2

अध्याय 2 : अर्थलिप्सा के लिए नहीं, अपितु मानव जाति के लिए नीति-व्यावहारिक अर्थशास्त्र में "टहोका" 5

अध्याय 3 : छोटों को पोषित कर, उन्हें विशाल बनाना : MSME वृद्धि के लिए नीतियों को नई दिशा देना 12

अध्याय 4 : डाटा "लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए" 16

अध्याय 5 : मत्स्य न्याय का समापन: निचली न्यायपालिका की क्षमता कैसे बढ़ाएं 20

अध्याय 6 : नीति की अनिश्चितता निवेश को कैसे प्रभावित करती है? 23

अध्याय 7 : वर्ष 2040 में भारत की जनसंख्या: 21वीं शताब्दी के लिए सरकारी प्रावधान की आयोजना 26

अध्याय 8 : स्वस्थ भारत के माध्यम से स्वच्छ भारत से सुन्दर भारत: स्वच्छ भारत मिशन का एक विश्लेषण 30

अध्याय 9 : किफायती, भरोसेमंद और सतत ऊर्जा के माध्यम से समावेशी विकास को संभव बनाना 33

अध्याय 10 : कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग- मनरेगा का मामला 39

अध्याय 11 : समावेशी विकास के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करना 42

खंड : I

अध्याय 1 : परिवर्तन का दौरः विकास, रोजगार और मांग में तेजी लाने का मुख्य प्रेरक निजी निवेश

(Shifting Gears: Private Investment as The Key Driver of Growth, Jobs, Exports and Demand)

विषय-वस्तु

इस अध्याय में विगत पाँच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आगामी पाँच वर्षों में पाँच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मूल योजना प्रस्तुत की गई है। उपर्युक्त उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण पारंपरिक मॉडल से भी आगे जाने का प्रयास करता है।

आगामी पांच वर्षः संवृद्धि और रोजगार सृजन की कार्ययोजना

- पिछले पांच वर्षों में मजबूत आर्थिक नींव के साथ सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2024-25 तक **5 ट्रिलियन यूएस डॉलर** की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए, भारत को **8%** की वास्तविक GDP विकास दर बनाए रखने की आवश्यकता है।
- इसे प्राप्त करने के लिए, सर्वेक्षण में **इसकी कार्य योजना निर्धारित की गई है जिसे केवल हितकारी जनांकिकीय चरण द्वारा उत्प्रेरित तथा समर्थित बचत, निवेश एवं निर्यात के एक सद्चक्र द्वारा एक विकास मॉडल चलाकर बरकरार रखा गया है।**
- कार्य योजना में **निवेश**, विशेषकर निजी निवेश **"मुख्य प्रेरक"** है जो मांग, क्षमता निर्माण, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करता है, नई प्रौद्योगिकी आरंभ करता है, ध्वंस की अनुमति देता है और रोजगार का सृजन करता है।
- इस मूल योजना का समर्थन करने के लिए, सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव विशेषकर **चीन और पूर्वी एशियाई देशों** का सन्दर्भ दिया गया गया है जो यह बताता है कि ऐसा विकास केवल बचत, निवेश और निर्यातों के सदचक्र से संचालित विकास मॉडल एवं अनुकूल जनांकिकीय से ही बनाए रखा जा सकता है।

मूल योजना में "संतुलन" के अर्थशास्त्र से आगे जाना

- मूल योजना (ब्लूप्रिंट) का प्रारंभ इस दर्शन से होता है कि अर्थव्यवस्थाएं विस्तृत रूप से परस्पर गुंथी हुए प्रणालियां होती है। इस प्रकार यह पारंपरिक अर्थशास्त्र की दो मान्यताओं को अस्वीकृत करता है-
- **आर्थिक संतुलन:** जिसके तहत यह माना जाता था कि अर्थव्यवस्था मूलतः तभी एक संतुलन बनाए रखने की स्थिति में होती है जब तक कि कोई बाहरी आघात इसमें व्यवधान उत्पन्न न कर दे। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इस मत को व्यापक रूप से चुनौती दी गई है।
- **अर्थव्यवस्था एक परिधि के अंतर्गत कार्य करती है** -जो यह मानती है कि देश में अन्य सामाजिक और संस्थागत सुविधाएँ एवं उनके विकास इसे प्रभावित नहीं करते हैं। परंपरागत प्रतिमान रोजगार सृजन, मांग, निर्यात तथा आर्थिक संवृद्धि को पृथक-पृथक समस्याएं मान कर उनके समाधान के प्रयास करता है।
- किन्तु इन समष्टि आर्थिक घटनाओं में **महत्वपूर्ण अंतर संबंध विद्यमान** होते हैं। समीक्षा ऐसे समष्टि चक्र के केंद्रीय महत्व की कल्पना कर रही है जो **सारी अर्थव्यवस्था में एक सदचक्र को संप्रेरित कर सकता हो।**
- इसलिए, पारंपरिक दृष्टिकोण से परे, कार्य योजना एक सोच के साथ डिजाइन की गई है जिससे अर्थव्यवस्था निरंतर एक संतुलन की स्थिति में रहे। इसलिए यह दोनों की आवश्यकता है- एक सामान्य रणनीति (सदचक्र कार्य योजना) और साथ ही लचीलेपन और अप्रत्याशित स्थितियों के जवाब में लगातार पुनर्गणना रणनीति की इच्छा।
- सर्वे के विभिन्न अध्यायों में इन **युक्तियों** के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जो निवेश को प्रेरित करने में सहायक हो सकती हैं और **स्थायी असंतुलन** युक्त विश्व को दिशा प्रदान कर सकती हैं। ये निम्नलिखित हैं-
- **व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र** - इसे उत्पादकता में वृद्धि करने और वांछित परिणामों को प्राप्त करने हेतु नीति-निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। इसके तहत, सर्वेक्षण में लोगों के मनोविज्ञान को समझने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं और सरकार द्वारा उठाये गए अन्य उपायों से प्रभावित सफल व्यवहारात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है।
- **सार्वजनिक वस्तु के रूप में डाटा:** इन डाटा भण्डारों का प्रयोग सरकार हेतु जनता का जीवन सुगम बनाने, साक्ष्य आधारित नीतियां बनाने, कल्याणकारी नीतियों का लक्ष्यीकरण सुधारने, अपूर्ण मांग पूरा करने, बिखरे हुए बाजारों को समेकित करने, सार्वजनिक सेवाओं में बेहतर उत्तरदायित्व लाने, प्रशासन में जनभागीदारी सुधारने आदि में सहायक होगा। निजता की रक्षा की परिष्कृत प्रौद्योगिकी पहले से ही विद्यमान है अतः सरकार निजता की विधिक रूपरेखा में रहते हुए आंकड़ो को सार्वजनिक रूप प्रदान कर सकती है।

VISION IAS

- **कानूनी प्रणालियों और अनुबंध प्रवर्तन में सुधार:** जो वर्तमान में भारत में बड़ी संख्या में मामलों की लंबितता के कारण कमजोर है। विश्व बैंक की व्यापार करने की सुगमता संबंधी नवीनतम रिर्पोट में संविदा प्रवर्तन के लिए भारत 163वें स्थान पर है।
- चूंकि हम "बटरफ्लाई इफ़ेक्ट" (एक सूक्ष्म परिवर्तन द्वारा भी भविष्य में अधिक व्यापक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं) और अनपेक्षित परिणामों से परिपूर्ण विश्व में रहते हैं, अतः भारत द्वारा कानून प्रणाली में सुधार सबसे बेहतर निवेश हो सकता है। सर्वे में कानूनी क्षेत्र में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग, कार्य दिवसों में वृद्धि और प्रशासनिक सुधारों का सुझाव दिया गया है।
- **आर्थिक नीति-निर्माण में निरंतरता-** इसके तहत, सर्वे भारत में नीतिगत अनिश्चितता और निवेश पर इसके प्रभाव की जांच करता है। सर्वे यह सुझाव देता है कि सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति और दृष्टिकोण के समग्र समन्वय के तहत नीतियों में पूर्वानुमेयता होनी चाहिए।
- **जनसांख्यिकी की भूमिका-** चूंकि भारत को दो दशकों तक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होता रहेगा अतः सर्वे में यह विश्लेषित किया गया है कि बचत मुख्य रूप से जनसांख्यिकीय वृद्धि और आय वृद्धि से प्रेरित होती है। इसके लिए इसमें अनुशंसा की गई है कि नीति निर्माताओं द्वारा पूंजी लागत और वास्तविक ब्याज दरों को कम किया जाना चाहिए, जो निवेश, विकास, निर्यात और रोजगार के सद्चक्र को बढ़ावा दे सकता है।
- **रोजगार के निर्माण और अर्जन की भूमिका:** बौनी फ़र्मे जिन्हे हम ऐसी छोटी-फर्मों के रूप में परिभाषित करते हैं जिनका आकार कभी नहीं बढ़ता परंतु ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर हावी होती हैं तथा रोजगार सृजन तथा उत्पादन को रोके रखती हैं। इसलिए यह अध्याय नवोदित फर्मों अर्थात ऐसी फर्में जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो, को MSME को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की मौजूदा पद्धति का समुचित संरक्षण प्रदान करते हुए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर फोकस करने की संस्तुति करता है।
- **वित्तीय क्षेत्र की भूमिका-** बैंकों और पूंजी बाजारों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा की गई है जो निवेश हेतु पूंजी लागत को कम कर सकते हैं। यद्यपि यह कठिन प्रतीत होता है तथापि बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और आईबीसी फ्रेमवर्क ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे उस समय लाभ प्राप्त होगा, जब निवेश संचालित विकास मॉडल को गति दी जाएगी, क्योंकि प्रोत्साहन से ऋण देने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- **अर्थव्यवस्था में जोखिम और प्रतिफल में संतुलन:** जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन होना चाहिए जो बचत-निवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। चूंकि निवेश एक अग्रगामी गतिविधि को दर्शाता है, निवेशक अंततः जोखिम-समायोजित रिटर्न के आधार पर निवेश करने का अपना निर्णय लेते हैं, जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। इस संबंध में, समीक्षा IBC फ्रेमवर्क की भूमिका को पुनः रेखांकित करती है, इष्टतम कर नीति जो जोखिम लेने के लिए नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दे सकती है।

आगे की राह

निजी निवेश के लिए एक उपयुक्त परिवेश का निर्माण निवेश, मांग, निर्यात, विकास और रोजगार के सद् चक्र के प्रारंभ हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

पिछले पांच वर्षः उपलब्धियां

व्यापक आर्थिक स्थिरता

- **संवृद्धि**: भारत चीन की तुलना में सतत वृद्धि के कारण उच्च दर पर संवृद्धि करने वाली एवं **छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बन गया है और इसने विश्व में तेजी से संवृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। **3.6% की वैश्विक वृद्धि के मुकाबले भारत 7.5%** की दर से वृद्धि कर रहा है।
- **मुद्रास्फीति**: 4 प्रतिशत की प्रमुख मुद्रास्फीति के लक्ष्य के अधिदेश के साथ एक वित्तीय नीतिगत समिति (एनपीसी) गठित की गई थी।
- **राजकोषीय प्रबंधन** :सकल राजकोषीय घाटे (GFD) पर भी यह अनुशासन लागू किया गया। 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम जिसने 2016 में एक नया जीवन प्राप्त किया है, यह 3 प्रतिशत के संभावित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीएफडी/जीडीपी अनुपात के पथ को निर्धारित करता है। 2013-14 में अनुपात 4.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत हो गया है, अन्य समष्टि स्थिरता सूचकांको में भी इसी तरह का सुधार हुआ है।

VISION IAS

लाभार्थियों पर फोकस और लक्षित वितरण- जैम त्रिमूर्ति ने लगभग 7.3 ट्रिलियन संचयी अंतरण करने में सक्षम बनाया है। वर्तमान में 370 नकद आधारित योजनाओं के माध्यम से 55 केन्द्रीय मंत्रालय डीबीटी तंत्र के अंतर्गत लाभार्थियों को धन अंतरित करते है।

भौतिक अवसंरचना का त्वरित निर्माण- विद्युत, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, विमानन जैसे अन्य क्षेत्र,

संघवाद के तंत्र को मजबूत किया- नीति आयोग, वस्तु और सेवा कर के माध्यम से और राज्य अपने प्रमुख कार्य-निष्पादन सूचकों (केपीआई) में सुधार लाने के लिए एक अनुकूल प्रतिस्पर्द्धा में शामिल रहे हैं।

कॉरपोरेट निर्गम- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 की शुरुआत से सुगम हुआ है, जिसने समाधान या परिसमापन से लेनदारों द्वारा बड़ी रकम की वसूली की अनुमति दी है।

सद्चक्र के प्रारंभ में अन्य विभिन्न कारकों की भूमिका

- **बचतें-** बचतें अधिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं जो (निवेश) बदले में संसाधनों के सृजन के माध्यम से अधिक बचत उत्पन्न करती हैं।
- **रोजगार-** सर्वे चीन के अनुभव का उपयोग इस बात की व्याख्या करने हेतु करता है कि किस प्रकार उच्चतम निवेश वाले देश अधिक रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम हैं।
- **निर्यात -** यह अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश के कारण निर्मित व्यापक क्षमता के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यह अंतिम मांग के उत्प्रेरक के रूप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च बचत घरेलू खपत में कमी कर देती है।

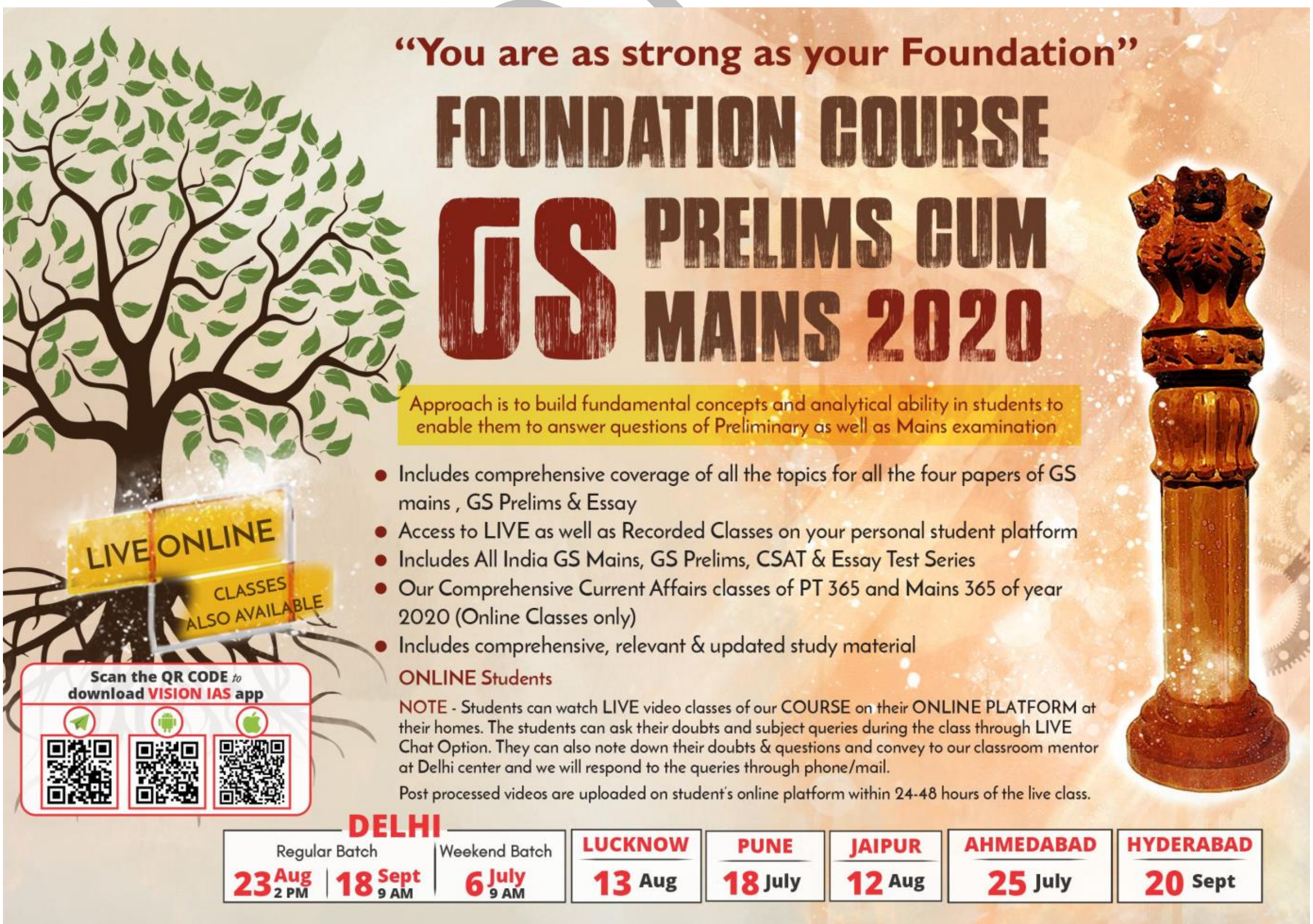

अध्याय 2 : अर्थलिप्सा के लिए नहीं, अपितु मानव जाति के लिए नीति-व्यावहारिक अर्थशास्त्र में "टहोका"

(Policy for Homo Sapiens, Not Homo Economicus: Leveraging The Behavioural Economics of "Nudge")

विषय-वस्तु

इस अध्याय में सरकारी नीतियों का उपयुक्त परिणाम प्राप्त करने में व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में इस दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है और तत्पश्चात सार्वजनिक नीति पर इन अंतर्दृष्टियों को लागू करने के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इन अधिगमों का उपयोग करते हुए, यह अध्याय लैंगिक समानता, स्वस्थ भारत, कर अपवंचन से कर अनुपालन की ओर हस्तांतरण और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के महत्वाकांक्षी एजेंडे पर प्रकाश डालता है।

परिचय

- पारंपरिक अर्थशास्त्र मनुष्यों को अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं और दुर्बलताओं से रहित मशीनी मानव मानता है। हालांकि, अर्थशास्त्र की **व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र** नामक शाखा मनुष्यों को उनकी सभी विलक्षणताओं के साथ उन्हे उनके वास्तविक रूप में प्रतिरूपित करती है। मानव विकल्प मानसिक संसाधनों अर्थात, संज्ञानात्मक क्षमता, अवधान और अभिप्रेरणा द्वारा उत्प्रेरित और सीमित होते हैं।
- मानव व्यवहार के मनोविज्ञान पर आधारित, व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र इस संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि नीतियों में नवप्रवर्तक हस्तक्षेपों का समावेश करके वांछनीय व्यवहार के प्रति **'कैसे लोगों को प्रेरित किया जाता'** है। व्यवहारवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा **"सामाजिक मानकों"** की शक्ति को लंबे समय से वर्णित किया जाता रहा हैं, क्योंकि अधिकांश लोग इन मानको के अनुकूल व्यवहार करना चाहते हैं या व्यवहार करते हुए दिखना चाहते हैं।
- व्यवहार को प्रभावित करने की शक्ति के आधार पर सार्वजानिक नीतियों के प्रभाव का श्रेणीकरण किया जा सकता है।

Figure 1: From Minimal Influence to Coercion

- **इनमें एक चरम बिंदु पर 'लेसेज़ फ़ेयर'(अहस्तक्षेप की नीति) है-** अर्थात निष्क्रिय रहना और व्यक्तियों/फर्मों को अपने मार्ग को स्वैच्छिक रूप से निर्धारित करने की छूट प्रदान करना। हालांकि, अहस्तक्षेप तब बेहतर रूप से कार्य करता है जब बाजार अपने आप सामाजिक रूप से वांछित परिणाम प्राप्त करते हों। उदाहरण के लिए व्यक्ति/फर्में, मुक्त बाजार में प्रदूषण नियंत्रित नहीं करेंगी।
- दूसरे चरम बिंदु पर- जहाँ विनियमन के रूप में सार्वजनिक नीतियां लोगों को सामाजिक रूप से वांछनीय रीति से कार्य करने के लिए अधिदेशित करती हैं।
- इन दो चरम बिंदुओं के बीच ऐसी नीतियां हैं जो उत्तम व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं या अनुचित व्यवहार को हतोत्साहित करती हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी और तंबाकू पर कर।
- "टहोका"(Nudge) नीतियाँ अहस्तक्षेप और प्रोत्साहनों की मध्यवर्ती हैं।
- लोगों के व्यवहार के साथ कुछ सामान्य समस्याएं हैं जिन्हें व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के सिद्धांत के माध्यम से दूर करने के प्रयास किए जाते हैं-
  - **प्रचलित गलत नियम-** जहां लोग उन्हें दिए गए प्रचलित गलत विकल्प (स्थिरक पक्षपात) का पालन करते हैं, जैसे कि सब्सिडी लाभ प्राप्त करना।

VISION IAS

- **गलत सामाजिक मानदंड -** जहां लोग अन्य लोगों की प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं और खराब व्यवहार करते हैं। उत्तम व्यवहार के लाभों के संबंध में जागरूकता का अभाव होता है, जैसे कि बालिकाओं के प्रति प्रचलित पूर्वाग्रह।
- **प्रोत्साहन का अभाव -** लोगों को उचित व्यवहार हेतु प्रेरित करने के लिए, इसके बजाय लोग सही किंतु कठोर निर्णय लेने के कारण होने वाली हानि को टालने के लिए इससे बचने का प्रयास करते हैं (हानि विरति पूर्वाग्रह)।
- **त्रुटिपूर्ण मानसिक प्रतिमान -** यह लोगों को इसके निहितार्थों के संबंध में सोच-विचार किए बिना एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने हेतु प्रेरित करता है, जैसे- एक निश्चित मानसिकता के कारण टीकाकरण नहीं कराना या करों का भुगतान नहीं करना।

• व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के **सिद्धांतों की समझ** लोगों की प्राथमिकताओं और उनके द्वारा चुने जाने वाले विकल्पों के बीच की खाई को पाट सकती है-

व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के सिद्धांत

Cognitive bias	Behavioural principle	General application across all programs
Anchoring bias	Principle 1: Leverage default rules	• Choose the right default; default choice should maximise welfare. • Make the default 'opt-in' for welfare programs like insurance, retirement savings, organ donation, etc. • Make the default 'opt-out' for purchasing add-on services, enrolling for a subsidy, etc.
	Principle 2: Make it easy to choose	• Keep options few in number and easy to comprehend. • Reduce logistical and administrative impediments to choosing. • Offer micro-incentives.
Failure bias	Principle 3: Emphasize social norm	• Emphasize the number of people who vote, save regularly, file taxes on time, etc. – the enhancers of good behaviour. • Wherever possible, clarify the insignificant role of detractors/ negative influencers to avoid "failure bias". • Focus on influencers that people can relate to, for example those in the same geography or age group.
	Principle 4: Disclose outcomes	• Disclose the realized benefits of good behaviour.
Sunk cost bias	Principle 5: Reinforce repeatedly	• Remind people of past good behaviour, for example, that they saved regularly for the last three months, to invoke the sunk cost fallacy; people tend to continue their past behaviour, especially when reminded about the same. • Elicit a pre-commitment for desired behaviour, and if possible, enable immediate action as per the commitment.
Loss aversion bias	Principle 6: Leverage loss aversion	• Design incentives to reward good behaviour *ex ante* with threat to revoke reward later if behaviour fails to match expectations.
Flawed mental models and confirmation bias	Principle 7: Make messages match mental models	• Train people to shift to new rules of thumb, for example, "fluids out – so fluids in" to increase fluid intake during diarrhoea. • Make the rules of thumb catchy, easy to remember and intuitive.

सात सामाजिक बुराईयों से बचने के लिए व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र का उपयोग

22 अक्टूबर, 1925 को **यंग इंडिया** में प्रकाशित महात्मा गांधीजी के 'सेवन सोशल सिंस' संबंधी विचार सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह उस सिद्धांत की अभिव्यक्ति है, जिसकी व्याख्या एवं उपयोग द्वारा लोगों को वांछित व्यवहार हेतु प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे-

1. **सिद्धांत के बिना राजनीति-** नीति निर्माताओं के क्षति निवारण (जैसे कठिन नीतिगत निर्णय लेने से बचना) सिद्धांत को संबोधित करने से नीतिगत और विधायी परिणामों में सुधार हो सकता है।

2. **काम के बिना धन-** अच्छे व्यवहार(जैसे कर अनुपालन) से प्राप्त होने वाले लाभों को उजागर करना कुछ लोगों की अधिकार के रूप में 'मुफ्त' में चीजों को प्राप्त करने की धारणा को परिवर्तित कर सकता है।
3. **विवेक के बिना खुशी-** प्राप्त होने वाली सब्सिडी के लाभ को छोड़ने के लिए डिफ़ॉल्ट 'ऑप्ट-आउट' का उपयोग करने से, विकास कार्यक्रम के लाभों का दावा करने वाले कम पात्र लोगों की समस्या सुलझ सकती है।
4. **चरित्र के बिना ज्ञान-** संज्ञानात्मक कौशलों के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स (आत्म-नियंत्रण) के महत्व के साथ समाज में विद्यमान पूर्वाग्रहों की व्याख्या करने वाले सही संदेशों के साथ लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
5. **नैतिकता के बिना व्यापार -** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार इस दिशा में कंपनियों के नैतिक व्यवहार को अभिस्वीकृति प्रदान करने वाली एक पहल है।
6. **मानवता के बिना विज्ञान-** प्रौद्योगिकी "विकल्प चुनना आसान बनाएं" के व्यवहारात्मक सिद्धांत का उपयोग चीजों को समझने में सरल बना सकता है, प्रक्रियाओं के चरणों को कम कर सकता है और वास्तविक लाभार्थी को लाभ लक्षित कर सकता है।
7. **त्याग के बिना पूजा-** अन्य लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए त्याग, सहानुभूति और विनम्रता की अंतर्निहित भावना विकसित किए बिना धर्म का पालन करना आत्म-पराजय है। जैसे MARD (बलात्कार और भेदभाव के विरूद्ध पुरूष) अभियान लैंगिक समानता के व्यापक हित में पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष अहंकार का त्याग करता है।

भारतीय नीतियों में व्यवहार अर्थशास्त्र की सफलता की कहानियाँ

- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) -**
  - यह अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिवस, 2 अक्टूबर को आरंभ किया गया था। यह उनके द्वारा प्रचारित मूल्यों का प्रतीक है और इस प्रकार स्वच्छ भारत के लिए 'सत्याग्रह' की तर्ज पर जन आंदोलन का निर्माण करता है।
  - शौचालय के उपयोग में व्यवहारिक परिवर्तन करने के लिए पांच लाख से अधिक स्वच्छाग्रहियों (सत्याग्रहियों के समान) की SBM के पैदल सिपाहियों के तौर पर भर्ती की गई थी।
  - सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन और समुदाय आधारित पूर्ण स्वच्छता ने लोगों को एक साथ आने, अपने समुदाय की खुले में शौच की प्रस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) -**
  - यह अभियान पानीपत, हरियाणा से आरंभ किया गया था, जिसकी अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में सर्वाधिक निम्नस्तरीय स्थिति थी और बाल लिंगनुपात 834 था। पानीपत का चयन प्रतीकात्मक रूप से किया गया था क्योंकि यह ऐतिहासिक लड़ाइयों का स्थान रहा है, और इसलिए, यहीं बालिकओं के विरूद्ध सामाजिक पूर्वाग्रह के विरूद्ध भी लड़ाई प्रारंभ की गई।
  - अन्य राज्यों में भी ऐसे ही प्रतीकात्मक अभियान प्रारंभ किए गए हैं।
  - बेटी के जन्म का उत्सव मनाने के लिए 'सेल्फी विद डॉटर' पहल में 'सामाजिक आदर्श' का उपयोग किया गया था।

पथ-प्रवर्तक बदलाव के लिए आकांक्षापूर्ण कार्यसूची

- पिछले पांच वर्षों के दौरान, सफल व्यवहारात्मक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में कई योजनाएं कार्यान्वित की गईं। स्वच्छ भारत मिशन (**SBM**) और बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (**BBBP**) योजनाएँ इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।
- इन योजनाओं में कार्यक्रम के उद्देश्यों का स्पष्ट संदेश देने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रचलित नामों का उपयोग करके, स्पष्ट संदेश की शक्ति का भी उपयोग किया गया है। जैसे- नमामि गंगे, पोषण (POSHAN) अभियान, आयुष्मान भारत आदि।

VISION IAS

- इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, यह सर्वे पथ-प्रवर्तक परिवर्तनों के लिए आकांक्षापूर्ण कार्यसूची के निर्माण हेतु उपर्युक्त रेखांकित सिद्धांतों पर आधारित है। इस खंड में सम्मिलित है-
  - कुछ सामाजिक बुराइयों के निवारण के उद्देश्य से कुछ वर्तमान कार्यक्रमों को क्रांतिकारी कार्यक्रमों में परिवर्तित करने का सुझाव
  - वर्तमान कार्यक्रमों को मौलिक रूप से बेहतर बनाने की विधियां।
- ऐसे विभिन्न आकांक्षापूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं-
  - **BBBP से BADLAV (बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी) तक-**
  - **स्वच्छ भारत से सुंदर भारत तक-**
  - **LPG सब्सिडी के लिए "सब्सिडी छोड़ें" से "सब्सिडी के बारे में सोचें" तक-**
  - **कर अपवंचन से कर अनुपालन तक-**
- इनमें से कुछ पर यहां विस्तार से चर्चा की गई है-

सिद्धांत	BADLAV	**सुंदर भारत**	**जन धन योजना**	**कर अनुपालन**
वर्तमान नियम को प्रभावी बनाना		व्यक्तियों को निश्चित फ्लू शॉट अप्वाइंटमेंट और स्मार्ट बीमा योजनाएं प्रदान करके क्रमशः टीकाकरण की दर और लोगों के बीमा कवरेज में सुधार किया जा सकता है।	बचत योजना में स्वतः नामांकन के साथ-साथ लोगों को इससे बाहर जाने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए।	कर की स्वचालित कटौती और धन वापसी का समस्त या कुछ अंश बचत खातों में निर्देशित करने से सेवानिवृत्ति बचत सहित बचत को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
चयन को आसान बनाना	महिलाओं के लिए बैंक खाता खोलने, सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने आदि जैसी विविध प्रक्रियाओं को सरल बनाना।	• स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को उन कारकों तक सीमित करने के माध्यम से संशोधित करना, जो लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। • स्कूल और कॉलेज की कैंटीनों में स्वस्थ विकल्प प्रदान करने से पौष्टिक भोजन का सेवन बढ़ सकता है।	नियामक को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धनों के लिए उत्पाद में बहुत अधिक विकल्प रखकर उसको भ्रमित न किया जाए। जैसे- जीवन ज्योति बीमा योजना में किया गया है।	टैक्स फाइल करने की बाधाओं - विलंब, फॉर्म भरने में परेशानी या शब्दों को समझने में विफलता आदि को दूर करने से अनुपालन में सुधार हो सकता है।
सामाजिक प्रतिमानों पर बल देना	रोल मॉडल के रूप में महिला नेताओं को चिन्हित करना और उनका प्रचार करना, चाहे वे मनोरंजन में हों, व्यवसाय में हों या राजनीति में हों , ताकि	• मादक द्रव्यों और अल्कोहल के अपने सेवन को सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार मानने वाले किशोरों को मादक पदार्थों को छोड़ने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए मादक द्रव्यों और अल्कोहल का उपभोग न करने वाले लोगों	प्रत्येक व्यक्ति को माह के अंत में उसके लेनदेन, उसके गांव के अन्य लोगों के लेनदेन और उसके रिश्तेदारों के लेनदेन के संबंध में SMS भेजा जा सकता है।	सामाजिक व्यवहार के संबंध में जानकारी प्रदान करने से करदाता अपनी दर्ज की गई आय को समायोजित कर सकते हैं।

VISION IAS

	लोग उनसे निकटतम 'अन्य' के रूप में संबंधित हो सकें। यहां तक कि इसके लिए मैत्रेयी, गार्गी जैसे पौराणिक चरित्रों को भी उजागर किया जा सकता है।	की संख्या उजागर करने वाले अभियान आरंभ करना। इसके अतिरिक्त, मादक द्रव्यों के अति सेवन के कारण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद मादक द्रव्यों की रोकथाम अधिक प्रभावी हो सकती है। • सामाजिक मानदंड स्थापित करना कि "टीकाकरण सुरक्षित है" के सन्देश और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा योजना लेने वाले लोगों की संख्या को प्रकट करने से नामांकन दर में सुधार हो सकता है।		
परिणाम का प्रकटीकरण करना	वेतन अंतराल, विधायिका, नौकरशाही आदि में महिलाओं की संख्याओं जैसे सभी क्षेत्रों से संबंधित महिला-पुरुष रैंकिंग (gender rankings) का सार्वजनिक डोमेन में प्रकटीकरण करना।	हाथ धोने या परिवार नियोजन से प्राप्त लाभों के प्रकटीकरण से लोगों को इन स्वस्थ पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।	निष्क्रिय खाताधारकों को समय-समय पर उनके पड़ोस में उन लोगों की संख्या के बारे में बताया जा सकता है जो सक्रिय रूप से अपने खातों का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर, नियमित उपयोगकर्ताओं को बधाई संदेशों (SMS) के साथ प्रोत्साहित किया जा सकता है।	कर का भुगतान नहीं करने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने पर गैर-अनुपालन में कमी आ सकती है, यदि वे तत्काल पुन: एकीकृत कर लिए जाते हैं।
लगातार बल देना	लैंगिक समानता के सकारात्मक मानदंड पर बल देने के लिए एकाधिक और नियमित दृश्य एवं प्रिंट विज्ञापनों का प्रयोग करना।	• लोगों से अपने टीकाकरण की योजना बनाने का निवेदन करने के साथ-साथ रोगियों को नियमित रूप से दवाएं लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संदेश सेवाओं का उपयोग करना। • चिकित्सकों द्वारा रोगियों को स्वस्थ पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्ध बनाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है।	लोगों से केवल यह पूछने मात्र से कि क्या वे अगले माह बचत करने की योजना बना रहे हैं, बचत करने के निश्चय का पुनर्बलन किया जा सकता है। लोगों द्वारा एक निर्धारित राशि की बचत को सुनिश्चित करना भी बचत के निश्चय का पुनर्बलन करने में सहायक हो सकता है।	मानक अनुस्मारक पत्र के साथ बार-बार उपयुक्त और प्रमाणिक सन्देश भेजना।
हानि-विरति को प्रभावी	प्रतिस्पर्धा के प्रति महिलाओं की उच्चतर	प्राय: वजन में कमी या धूम्रपान छोड़ने जैसे लक्ष्य प्राप्त करना	जब-जब वेतन बढ़ता है तो लोगों को अधिक बचत	छूट (हानि) के रूप में प्रस्तुत कर

VISION IAS

बनाना	अरूचि में सुधार करने के लिए पारितोषिक संरचनाओं को आशोधित किया जा सकता है। जैसे सेवाओं में महिला आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क में छूट देना।	लोगों के लिए कठिन होता है। लोग किसी वेबसाइट पर उन बांडों (जमा संविदाएं) या लॉटरी टिकट को स्वेच्छा से लेते हैं जिन्हें लक्ष्य प्राप्त कर लेने के पश्चात उनको लौटा दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं होने पर उन्हें जब्त कर लिया जाता है। इससे इन कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।	करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे समय में, लोगों द्वारा वर्ष के किसी अन्य समय की तुलना में बचत को हानि मानने की संभावना कम होती है।	कटौती की तुलना में बोनस (लाभ) के रूप में प्रस्तुत कर कटौती की व्यय किए जाने की संभावना अधिक होती है।
संदेशों का मानसिक मॉडलों के साथ समन्वय	सभी लैंगिक रूढ़ियों को समाप्त करना, जो नौकरी या कार्यस्थल या किसी परीक्षा के प्रति निर्णय लेने में महिलाओं को प्रभावित करते हैं और उनके प्रति उनकी पहल को प्रभावित करते हैं।	• मुंह द्वारा ग्रहण किये जाने वाले पुनर्जलीकरण घोल (Oral Rehydration Solution) से संबंधी यह धारणा समाप्त करने के लिए कि दस्त के लिए घोल बच्चे का तरल पदार्थ का सेवन कम करने के लिए होता है, घोल के संबंध में सूचना अभियान का उपयोग किया जाना चाहिए। • माताओं को स्तनपान कराने की आदत अपनाने, लोगों को धूम्रपान छोड़ने और बीमारियों के शीघ्र डाइग्नोसिस को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावकर्ताओं की भूमिका और स्वास्थ्य संदेश के सांस्कृतिक अनुकूलन का उपयोग किया जा सकता है।	लोगों से अपने धन के साथ उद्देश्य जोड़ने हेतु प्रेरित करना चाहिए। लोगों को "गृह बचत योजना" या "शिक्षा बचत योजना" जैसे विकल्पों को चुनने के लिए कहा जा सकता है। बैंकों से होने वाले सभी प्रचार-प्रसार में सावधानी से चयन किये जाने वाले उक्त विकल्पों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।	कर दाताओं को यह स्मरण कराने से कि लोक हित केवल कर अनुपालन के बदले में किया जा सकता है (नैतिक अपील), कर अदायगी में वृद्धि सकती है।

व्यवहारात्मक परिवर्तन के लिए आकांक्षात्मक कार्यसूची का कार्यान्वयन

व्यवहार परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने हेतु, कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया है-

- **संस्थानों की स्थापना–नीति आयोग** में व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र इकाई स्थापित की जानी चाहिए, **जो कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संचालित हो**। **U.S., U.K.** और ऑस्ट्रेलिया सहित कई सरकारों ने प्रभावी नीति निर्माण हेतु व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करने के लिए समर्पित इकाइयाँ स्थापित की हैं।
- **कार्यक्रमों में परिवर्तन–**अपने कार्यान्वयन से पूर्व प्रत्येक कार्यक्रम की "व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र" लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। यह लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **राज्यों के साथ सहयोग** - व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र टीम को न केवल संभावित लाभों के संबंध में सूचित करने के लिए बल्कि कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में सुधार लाने में सहायता करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ काम करना चाहिए।

आगे की राह

हालांकि, व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र नीति निर्माण हेतु रामबाण नहीं है; इसकी क्षमता को पहचानने और तद्नुसार परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। टहोका नीतियां(Nudge policies) प्रत्येक प्रोत्साहनमूलक (incentive- based) और अधिदेशमूलक नीति का स्थान नहीं ले सकती हैं और न ही लेना चाहिए। वास्तव में, कई प्रोत्साहन और अधिदेश मूलक नीतियों को उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए टहोका प्रभाव(nudge effect) के साथ सह संबद्ध किया जा सकता है।

अध्याय 3 : छोटों को पोषित कर, उन्हें विशाल बनाना : MSME वृद्धि के लिए नीतियों को नई दिशा देना

(Nourishing Dwarfs To Become Giants : Reorienting Policies For Msme Growth)

विषय-वस्तु

इस अध्याय में भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और संवृद्धि में MSME की भूमिका के सम्बन्ध में तथा क्या सरकार की पिछली नीतियां MSME के विकास के लिए अनुकूल रही हैं, इसका अध्ययन किया गया है। यह ऐसा पारितंत्र बनाने पर केंद्रित है जिसमें MSME को बड़ी इकाइयों में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और समर्थ बनाया जाता है ताकि रोजगार सृजन में वे अपनी क्षमता प्रकट कर सकें।

परिचय

- सर्वेक्षण के अनुसार, अगले दशक में सालाना लगभग 55-60 लाख नौकरियां सृजित करनी होंगी। यह संभव बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि उपयुक्त परिवर्तन लाकर MSMEs की क्षमता का दोहन किया जाए।
- पिछले सात दशकों के दौरान, सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था में MSMEs का विकास अवरुद्ध कर दिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में संख्या की दृष्टि से बौनी फर्मों का प्रभुत्व है, जिससे उनका रोजगार सृजन और उत्पादकता स्तर प्रभावित हुआ है।
- यदि आगे बढ़ने के लिए इन MSME को बंधनमुक्त कर दिया जाए, तो ये फर्में न केवल अपने प्रवर्तकों के लिए अधिक से अधिक लाभ उत्पन्न करेंगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और उत्पादकता में भी योगदान देंगी।

विभिन्न फर्मों की परिभाषा

- 100 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाली फर्मों को **लघु फर्मों** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 100 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाली फर्मों को **बड़ी फर्मों** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **बौनी फर्में 10 से अधिक वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में होने के बावजूद 100 से कम कर्मचारियों** को रोजगार देने वाली लघु फर्मों सदृश होती हैं।
- 10 वर्ष से कम आयु की फर्मों को **युवा फर्मों** के रूप में संदर्भित किया जाता है।

बौनेपन का अभिशाप तथा नौकरियों और उत्पादकता पर इसका प्रभाव

- **संख्या की दृष्टि से बौनों का प्रभुत्व-**
  - जहां संख्यानुसार संगठित विनिर्माण में **बौनी फर्मों** की हिस्सेदारी **सभी फर्मों की हिस्सेदारी की आधी** है, वहीं **रोजगार** में उनकी हिस्सेदारी केवल 14.1% है और **निवल वर्द्धित मूल्य** (NVA) में 7.6% ही है। वहीं दूसरी ओर-
    - **संख्यानुसार बड़ी फर्मों** की हिस्सेदारी केवल **5.5%** है, लेकिन रोजगार में ये **21.2%** और NVA में **37.2%** योगदान देती हैं।
    - **बड़ी, लेकिन पुरानी फर्मों** (ऐसी फर्में जिनमें 100 से अधिक कर्मचारी हैं और जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं) की हिस्सेदारी **संख्यानुसार** केवल **10.2%** है, लेकिन **रोजगार और NVA में इनका योगदान आधा** है।
  - इसलिए, **समय के साथ विकसित होकर बड़ी बनने में सफल रही फर्में** अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादकता में सबसे बड़ी योगदानकर्ता हैं। इसके विपरीत, पुरानी होने के बावजूद लघु बनी रही बौनी फर्में अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादकता में सबसे कम योगदान देने वाली बनी हुई हैं।

VISION IAS

- संगठित विनिर्माण में 85% अनुपात वाली लघु फर्मों की संगठित विनिर्माण में हिस्सेदारी रोजगार के मामले में केवल 23% और निवल वर्द्धित मूल्य के मामले में केवल 11.5% है।
  - यह उस आम धारणा को खंडित करता है कि **अधिकांश रोजगार लघु फर्में उत्पन्न करती हैं।** लघु फर्मों में अधिक संख्या में नए रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन साथ ही वे कई नौकरियां नष्ट भी कर देती हैं। लघु फर्मों के लिए अपने द्वारा सृजित नौकरियां बनाए रखना कठिन होता है जबकि बड़ी फर्में बड़ी संख्या में स्थायी नौकरियां सृजित करती हैं। इस प्रकार, लघु फर्में निवल रोजगार सृजन में कम योगदान देती हैं।

- **आयु के प्रभाव की तुलना में आकार का प्रभाव**
  - लघु फर्मों द्वारा सर्वाधिक रोजगार पैदा करने की आम धारणा इस तथ्य से बनती है कि आकार के प्रभाव का आयु के प्रभाव के साथ घालमेल हो जाता है।
  - लघु फर्मों में पुरानी और युवा दोनों फर्में (शिशु और बौनी) सम्मिलित हैं, और इनमें युवा फर्में हैं जिनकी रोजगार और उत्पादकता में हिस्सेदारी अधिक है।
- **प्रतिच्छेद तुलना**
  - सर्वेक्षण में अन्य देशों के साथ भारत में रोजगार संवृद्धि और उत्पादकता की तुलना की गई है।
    - **रोजगार -** अमेरिका में औसतन 40 वर्ष पुरानी फर्म ,औसतन 40 वर्ष पुरानी भारतीय फर्म की तुलना में **5 गुना** अधिक रोजगार पैदा करती है।
    - **उत्पादकता -** अमेरिका में औसतन 40 वर्ष पुरानी फर्म ,औसतन 40 वर्ष पुरानी भारतीय फर्म की तुलना में **2.5 गुना** अधिक उत्पादक है।
- इस प्रकार**,** इस प्रकार की तुलना बताती है कि भारत में फर्मों की आयु बढ़ने के साथ रोजगार सृजन और उत्पादकता दोनों पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ते हैं।

बौनेपन को बढ़ावा देने में नीति की भूमिका

- भारतीय नीतियों ने फर्मों के लिए लघु बने रहने हेतु **"विकृत" प्रोत्साहन** का सृजन किया है। यदि फर्में इन नीतियों द्वारा लागू सीमा से आगे बढ़ती हैं, तो वे उक्त लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती हैं। इसलिए उक्त सीमा से आगे बढ़ने के बजाय, उद्यमियों को **इन लाभों को प्राप्त करते रहने के लिए नई फर्म आरंभ करना** इष्टतम लगता है।
- लेकिन आकारिक मितव्ययता से बड़ी फर्मों को मिलने वाला लाभ इन लघु फर्मों को नही प्राप्त हो पाता है और इसलिए ये **अनुत्पादक बनी रहती** हैं। उत्पादकता और संवृद्धि की कमी बौनी फर्मों की रोजगार पैदा करने की क्षमता को अवरुद्ध करती है।
- इस परिघटना को निम्न रूपों में देखा जा सकता है-

राजस्थान में श्रम सुधारों का प्रभाव (2014)

राजस्थान ने अन्य बातों के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948 में कई संशोधन किए है। सर्वेक्षण में इन परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है-

- भारत में अन्य राज्यों की तुलना में **बड़ी फर्मों** (> 100 कर्मचारियों) की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
- राजस्थान की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- **श्रम विनियमन का प्रभाव -** भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर श्रम कानूनों, विनियमों और नियमों की बहुतायत है। जैसे **औद्योगिक विवाद अधिनियम (IDA), 1947** 100 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों हेतु कर्मचारियों की छंटनी से पहले सरकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
  - इस प्रकार के विनियमों के अनुपालन में अंतर्निहित संव्यवहार की लागत को देखते हुए, स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में फर्में 100 कर्मचारियों की सीमा से नीचे रहना और लघु बना रहना पसंद करती हैं।

- सर्वेक्षण में राज्यों द्वारा किए गए सुधारों का अध्ययन किया गया। इसके आधार पर, यह रेखांकित किया गया कि **अनम्य राज्यों** की तुलना में **नम्य राज्यों** (जिन्होंने श्रम सुधारों पर काम किया है) में श्रमिकों की संख्या, पूंजी और उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, नम्य राज्यों की तुलना में अनम्य राज्यों में ये मापदंड या तो बिगड़ रहे हैं या धीमी गति से बढ़ रहे हैं।
- सर्वेक्षण में देश के बाकी भागों में श्रम विनियमों में परिवर्तन को सही ठहराने के लिए राजस्थान (ऐसा करने वाला पहला राज्य) में श्रम कानूनों के अविनियमन के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है।

SSI आरक्षण के कारण संसाधनों का दुरुपयोग

- कुशल स्तर की तुलना में SSI नीतियां श्रम से औसत पूंजी अनुपात काफी कम कर देती हैं।
- कम पूंजी संचय के कारण, श्रम की समग्र मांग और बाजार मजदूरी दर कुशल स्तर की तुलना में SSI नीतियों के कारण बहुत कम होती हैं।
- SSI नीतियों के परिणामस्वरूप प्रबंधकीय प्रतिभा का अकुशल आबंटन होता है, जिससे बदले में उत्पादकता प्रभावित होती है।
- संसाधनों के अकुशल आबंटन के परिणामस्वरूप प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था में विनिर्मित उत्पादों की कीमत बहुत अधिक हो जाती है, जो इन उत्पादों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्रतिस्पर्धी बना देती है।

- **लघु स्तर के आरक्षण का प्रभाव**
  - लघु फर्मों के प्रति लक्षित नीतियों में तब तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, क्रय वरीयता में प्रोत्साहन/छूटें, मूल्य वरीयता, विपणन सहायता सम्मिलित हैं जब तक कि वे अपनी आयु से निरपेक्ष निवेश की ऊपरी सीमा तक नहीं पहुंच जाती हैं।
  - **लघु स्तरीय उद्योग (SSI) आरक्षण नीति, 1967** को रोजगार संवृद्धि और आय वितरण प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। हालाँकि इसने अंततः उन प्रवेशक फर्मों को सीमित किया, जिनका उद्देश्य अनारक्षण से पहले वृद्धि करना था।
  - **यह भी देखा गया कि जब लघु फर्मों के लिए आरक्षित लाभ समाप्त हो जाते हैं, तो युवा और विशाल प्रवेशक सर्वाधिक नौकरियां पैदा करते हैं जबकि पुराने और अपेक्षाकृत लघु प्रवेशक अधिकतम नौकरियां नष्ट करते हैं।**
  - कुल मिलाकर, SSI आरक्षण जैसी आकार पर निर्भर नीतियों के कारण संसाधनों का काफी कुआबंटन हुआ है।

आगे की राह

सरकार की नीतियों को MSME को बंधनमुक्त बनाकर उन्हें वृद्धि करने में समर्थ बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। सर्वेक्षण में निम्नलिखित नीति विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें इसके लिए ग्रहण किया जा सकता है-

- **लघु 'फर्मों' के बजाय 'प्रारंभिक या शिशु' फर्मों को प्रोत्साहन देना:** वर्तमान प्रोत्साहनों के उपयुक्त स्थानांतरण के साथ, इन्हें बौनी फर्मों से शिशु फर्मों की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। आधार के मंच का उपयोग करते हुए विकृत प्रोत्साहनों की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए आयु-आधारित नीतियां कार्यान्वित की जा सकती हैं, जिसके चलते लघु फर्में विकसित नहीं होती हैं।
- **प्राथमिकता क्षेत्र हेतु ऋण (PSL) का पुनरोन्मुखीकरण**: वर्तमान में, MSME क्षेत्रक को ऋण देने के लिए बैंकों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो फर्मों को लघु बने रहने के लिए विकृत प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार, उच्च रोजगार लोच वाले क्षेत्रकों **में 'स्टार्ट अप' और 'शिशु फर्मों' को प्राथमिकता देना** आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रोजगार पैदा कर सकने वाले क्षेत्रकों के लिए प्रत्यक्ष ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी।

VISION IAS

- **प्रोत्साहनों के लिए सनसेट क्लॉज:** उपयुक्त स्थानांतरण के साथ, संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रोत्साहन में पांच से सात वर्ष तक की अवधि जैसा 'सनसेट क्लॉज' होना चाहिए, जिसके बाद फर्म अपने आपको बनाए रखने में सक्षम हो जानी चाहिए। इससे शिशु फर्मों पर नीतिगत ध्यान केंद्रित रहेगा।
- **उच्च रोजगार लोच वाले क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करना:** रोजगार पर अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का प्रभाव बढ़ाने के लिए, सर्वेक्षण में ऐसे कुछ क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है जैसे रबर और प्लास्टिक उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों, परिवहन उपकरण, मशीनरी, आधारभूत धातुओं और तैयार धातु उत्पादों, रसायन और रासायनिक उत्पादों, कपड़ा और चमड़ा उत्पादों का विनिर्माण।
- **उच्च प्रतिच्छालन (spillover) प्रभाव वाले सेवा क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करना -** जैसे कि प्रमुख पर्यटन केंद्रों को विकसित करना, जिसका यात्रा और सफारी गाइड, होटल, खानपान और हाउसकीपिंग स्टाफ, पर्यटन स्थलों पर दुकानों आदि जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर तरंगित प्रभाव पड़ेगा। सर्वेक्षण में प्रत्येक राज्य में इस प्रकार पर्यटन स्थलों की पहचान करने और इन स्थानों के लिए संपर्कता (कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई है।

अध्याय 4 : डाटा "लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए"

(Data "Of The People, By The People, For The People")

विषय-वस्तु

यह अध्याय बताता है कि सूचना विस्फोट ने किस प्रकार डाटा की सीमांत लागत और इससे प्राप्त लाभों में परिवर्तन किया है। इसके अतिरिक्त, यह बताता है कि इस डाटा को एक सार्वजनिक संपत्ति क्यों और कैसे माना जा सकता है? यह सामाजिक क्षेत्रों हेतु इस डाटा का इष्टतम उपयोग करने के लिए निजी व सरकारी, दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर चर्चा करता है। अंत में, यह विभिन्न हितधारकों यानी सरकार, लोगों तथा निजी क्षेत्र के लिए इस डाटा के अनुप्रयोगों के साथ समापन करता है।

आकड़ों (डाटा) और सामाजिक कल्याण का अर्थशास्त्र

हाल के समय में, लोग वर्द्धित रूप से डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं जो साथ ही साथ फुटप्रिंट भी छोड़ रहे हैं। इसके फलस्वरूप एक अभूतपूर्व स्तर पर आंकड़ों (डाटा) का सृजन हो रहा है। इसी के साथ-साथ-

- **आंकड़ों की सीमांत लागत** में चरघातांकीय रूप से कमी आई है।
- इस डाटा के उपयोग से **समाज के सीमांत लाभों में वृद्धि** हुई है।

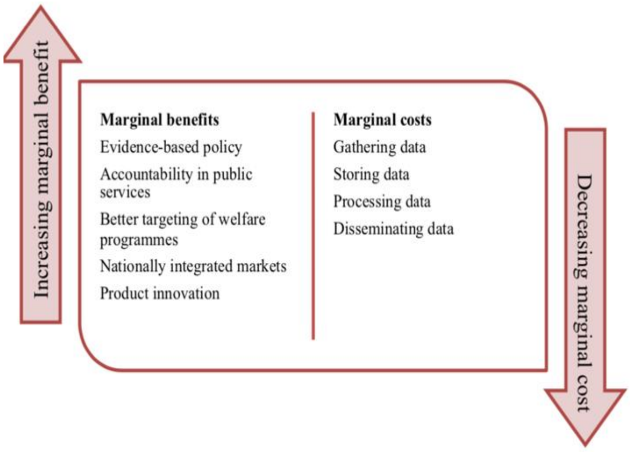

Figure 1: Falling Marginal Cost of Data

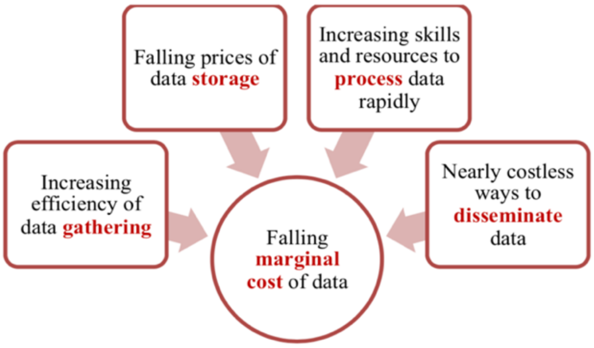

डाटा को सार्वजनिक संपत्ति क्यों माना जाना चाहिए?

- उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, **डाटा की अनुकूलतम मात्रा** (अर्थात जितने डाटा का उपयोग समाज को करना चाहिए) पहले से काफी अधिक है। तथापि डाटा को काम मे लाने और प्रयोग करने के लिए किये गए प्रयासों में आंशिक वृद्धि ही हुई है।
- **यद्यपि, डाटा संबद्ध प्रयासों में निजी क्षेत्र का निवेश पहले से उच्चतर रहा है, तथापि ऐसे डाटा के सामाजिक लाभों का उपयोग कम ही रहा है-**
    - सामाजिक कल्याण ऐसा कोई लाभ नहीं है जो निजी फर्म को प्राप्त होता है, इसलिए फर्म द्वारा एकत्रित किये जाने वाले तथा प्रसारित किये जाने वाले डाटा की इष्टतम मात्रा सामाजिक इष्टतम से कम हो जाती है।
    - दूसरा, डाटा **कई रूपों** में आता है जैसे **अनाम डाटा, सार्वजनिक डाटा** जो **अलग-अलग प्रसुविधाएं** प्रदान करते हैं। **कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर डाटा में निजी निवेश अपर्याप्त रहता है, उदाहरण के तौर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र। जिस कारण इन क्षेत्रों में डाटा के लिए बाज़ार अभी तक विफल रहा है।**
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक रूप से इष्टतम मात्रा में डाटा तैयार किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है, सरकार डाटा की प्रकृति और संवेदनशीलता पर निर्भर रहते हुए, या तो स्वयं डाटा उपलब्ध कराती है या निजी क्षेत्र द्वारा अनुपयुक्त प्रोत्साहन संरचना को ठीक करने के लिए पहल करती है।
    - इसी के साथ-साथ, डाटा को लोकोपयोगी बनाने के प्रयास में, डाटा की गोपनीयता को भी सुनिश्चित रखा जाता है।

VISION IAS

डाटा के विभिन्न रूप

- **अनाम डाटा:** वह डाटा जो किसी विशिष्ट व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, किन्तु किसी विशेष व्यक्ति से असंबद्ध डाटा में भी एक व्यक्ति के स्तर का सूक्ष्मतम विवरण प्रदान करता है उसे अनाम डाटा कहा जाता है। **चिकित्सा अनुसंधान** जैसे कुछ क्षेत्रों में **यह डाटा महत्वपूर्ण** होता है।
- **सरकारी डाटा:** जो डाटा किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता है या न ही सूक्ष्मता के वैयक्तिक स्तर तक संयोजित होता है, उसे सरकारी डाटा कहा जाता है, जैसे- जनगणना।

एक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में डाटा की विशेषताएँ

- यह **गैर-ऋणात्मक (non-rivalrous)** है, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने पर दूसरों के लिए उपलब्ध डाटा की मात्रा में कमी नहीं आती है।
- डाटा को बाह्य (excludable) रखा जा सकता है, अर्थात लोगों को डाटा तक पहुंचने से रोका जा सकता है, जैसा कि बहुत सी डाटाबेस फ़र्में पे वाल्स के माध्यम से ऐसा करती करती हैं।

सहक्रियात्मक लाभ अर्जित करने के लिए डाटा में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए:

- **डाटा विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित पृथक डाटासेटों का संयोजन करता हो:** यह कल्याणकारी नीतियों को डिजाइन करने और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अनिवार्य प्रचुरता को प्राप्त करने के लिए उपयोगी है।
- **डाटा व्यक्तियों/फर्मों के एक महत्वपूर्ण समूह को कवर करता हो:** ताकि उपयोगी नीति सम्बन्धी अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने हेतु व्यक्तियों/फर्मों के बीच तुलना व परस्परिक संबंधों का आकलन किया जा सके।
- **डाटा एक विशाल काल श्रेणी में विस्तारित हो:** ताकि नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पूर्व एवं पश्चात मूल्यांकन किया जा सके।

मामले का अध्ययन – ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म – एक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में डाटा का उपयोग

- इसके जरिए **नागरिक** एक ही स्थान पर मशीन रीडेबल रूप में **कई तरह के सरकारी डाटा प्राप्त कर सकते** हैं।
- जनता को ओपन डाटा उपलब्ध कराने से लोगों में डाटा का विश्लेषण करने और डाटा से दूरदर्शिता की सीख प्राप्त करने वालों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। फलस्वरूप, **डाटा की उपयोगिता स्वत: ही बढ़ जाती है।**

सिस्टम का निर्माण

भारत सरकार लोगों से सम्बंधित डाटा के चार अलग-अलग सेट रखती है – **प्रशासनिक, सर्वेक्षण संस्थागत और लेनदेन डाटा।**

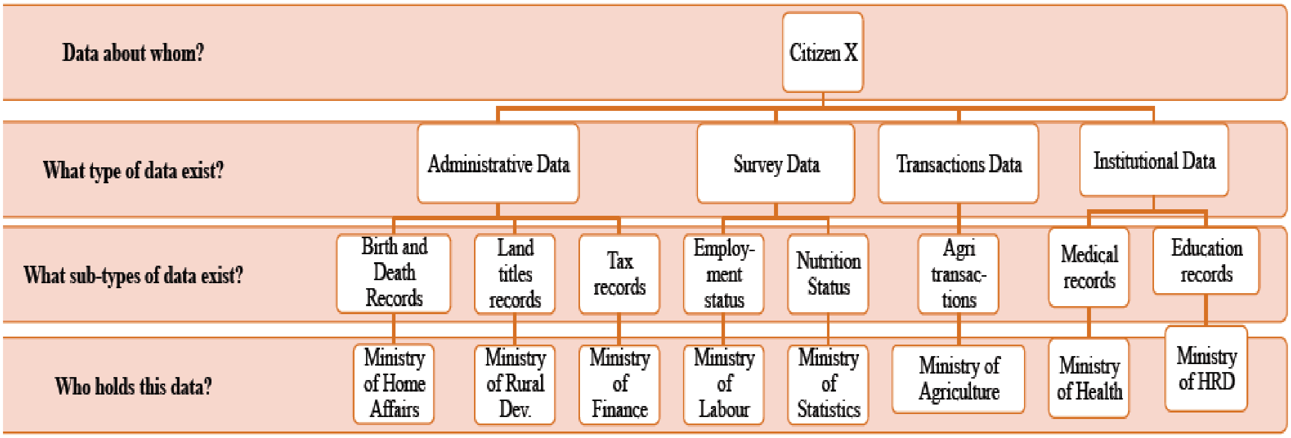

सामान्य तौर पर इसके साथ दो मुद्दे संबद्ध हैं-

- बाद के दो डाटाबेस **एक प्रारंभिक अवस्था** में हैं तथा आरंभिक दो डाटाबेस व्यापक और सुदृढ़ हैं।

VISION IAS

- भारत में डाटा संग्रहण की व्यवस्था अत्यधिक **विकेंद्रित** है क्योंकि विभिन्न मंत्रालय ये डाटा अलग-अलग रूप से एकत्र करते हैं। अत: प्रत्येक मंत्रालय के पास व्यक्तियों/फ़र्मों के आंकड़ों का एक छोटा-सा पृथक अंश ही होता है। एक आम पहचान सूत्र (identifier) के अभाव में सूचनाओं का समेकन कठिन हो जाता है।
- इसलिए, इसे और अधिक कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए **डाटा के इन अलग-अलग सेटों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता** है।
- एकीकृत प्रणाली की दक्षता **तीन महत्वपूर्ण गुणों** पर निर्भर करती है:
    - पहला, किसी मंत्रालय को समग्र डाटाबेस देखने में सक्षम होना चाहिए किन्तु किसी विशेष मंत्रालय को किसी विशेष डाटा फील्ड में परिवर्तन का अधिकार तभी हो जब उस डाटा फील्ड के लिए वह मंत्रालय ही उत्तरदायी हो।
    - दूसरा, डाटा को रीयल टाइम में अद्यतन किया जाना चाहिए और यह इस रीति से करना चाहिए कि जब एक मंत्रालय डाटाबेस में परिवर्तन कर रहा हो तब दूसरे मंत्रालय की डाटा तक पहुँच में किसी तरह की बाधा नहीं हो।
    - तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, डाटा बेस अत्यंत सुरक्षित होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार से हेर-फेर की संभावना नहीं होनी चाहिए।
- **प्रत्येक नागरिक से संबंधित ऐसी व्यापक, सर्वांगीण सूचना द्वारा सरकार को सशक्त करना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि-**
    - इस प्रस्ताव की विलक्षणता यह है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई नई सूचना एकत्र नहीं की जाएगी, अपितु जो डाटा सरकार के पास पहले से उपलब्ध है उसी को 'प्रयोक्ता स्वीकृति', 'समुचित निजता' तथा 'न्याय संगति संबंधी नियंत्रण' को ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जाएगा।
    - ऐसी सेवाओं से प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति से संबद्ध डाटा को शेयर करने का विकल्प **डाटा सुलभ न्यासी संरचना** के अधीन सदैव नागरिक के पास ही उपलब्ध होगा।

केस स्टडी – डाटा सेटों का संयोजन – सर्वश्रेष्ठ अभ्यास

- वैश्विक उदाहरण – ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (TFL), अमेरिकी सरकार का Data.gov प्लेटफॉर्म
- भारतीय उदाहरण-
    - **तेलंगाना सरकार की समग्र वेदिका पहल** – यह एक सामान्य आइडेंटिफायर – किसी व्यक्ति के नाम व पता का उपयोग करके लगभग 25 मौजूदा सरकार के डाटा सेट को जोड़ती है।
    - **स्थानीय सरकार निर्देशिका** (पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित अनुप्रयोग) – यह मंच प्रत्येक भूमि क्षेत्र इकाई को एक स्थानीय सरकारी निकाय के साथ जोड़ता है (जैसे गांवों को उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ) और 2011 की जनगणना के अनुरूप स्थान कोड प्रदान करता है।

डाटा एक्सेस फिड्यूशरी आर्किटेक्चर (डाटा पहुँच प्रत्ययी संरचना): एक ऐसा मॉडल जो डाटा को एक सार्वजनिक उपयोगी वस्तु बनाने वाली सरकार की पहल में प्रयोक्ता की स्वीकृति को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है:

- सरकार के प्रत्येक विभाग का यह दायित्व है कि वह उसके पास उपलब्ध होने वाले डाटा को आगे उपलब्ध करवाए जिसे वह डाटा प्रबन्धक के रूप में अपने पास रखता है।
- इन विभागों को 'निजी डाटा' तथा 'लोक डाटा' द्वारा अपेक्षित मानकों के अनुसार संसाधित करते समय सावधानी रखनी होगी।
- 'डाटा निवेदक' को तत्पश्चात यह डाटा, "डाटा एक्सेस फिड्यूशरी" के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

VISION IAS

- डाटा निवेदक सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान दोनों में से कोई भी हो सकता है किन्तु डाटा तक तभी पहुंच हो पाएगी जब उसके पास समुचित 'प्रयोक्ता स्वीकृति' होगी।
- एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन होने के कारण स्वयं 'डाटा एक्सेस फिड्यूशरी', डाटा को नहीं देख सकेगा।

भारत के डाटा अवसंरचना का रूपांतरण करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है?

डाटा को प्रयोग में लाने के संबंध में चार कार्रवाई की जाती हैं यथा डाटा को एकत्रित करना, डाटा का भंडारण करना, डाटा का प्रक्रमण करना, और डाटा का प्रसारण करना। इनमें से प्रत्येक के संबंध में सुधार की गुंजाइश होती है।

Gathering data	•Digitize existing paper-based data •Initiate digital data collection at source
Storing data	•Initiate real-time storage for select data •Reduce time lag between collection and data entry
Processing data	•Build capacities of govt. bodies to analyse data •Involve private sector in analysis and insight generation
Disseminating data	•Create scheme dashboards •Open district-level dashboard to the public •Open data from third party studies to the public

अनुप्रयोग

- **सरकार:** वह समावेशी और बहिष्करण दोनों प्रकार की त्रुटियाँ कम करके कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी के लक्ष्य में सुधार कर सकती है और इस प्रकार सार्वजनिक सेवा वितरण में भी सुधार किया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्र की फ़र्में:** डाटा को विश्लेषण एजेंसियों को बेचा जा सकता है जो इसका प्रसंस्करण करतीं हैं और अंतर्दृष्टि विकसित करती हैं। इन अंतर्दृष्टियों को आगे कॉर्पोरेट सेक्टर को बेच देतीं हैं, जो बदले में इस अंतर्दृष्टि का उपयोग करके अप्रयुक्त बाज़ारों की खोज कर सकते हैं या नए उत्पादों में नयापन ला सकते हैं। यह सरकार के लिए राजस्व भी उत्पन्न करता है।
- **नागरिक:** नागरिक प्रस्तावित डाटा क्रांति के लाभार्थियों का सबसे बड़ा समूह है। उदाहरण के तौर पर, डिजिलॉकर, नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनी-अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफ़सी_एए) जैसी पहलें। ये नागरिकों को इन संस्थाओं से केवल एक मशीनी रूप से पठनीय प्रारूप में उनके आंकड़ों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके द्वारा इनका उपयोग सार्थक रूप से किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत के संविधान की मूल-भावना के अनुसार डाटा "लोगों के, लोगों द्वारा लोगों के लिए", सरकार का मूलमंत्र होना चाहिए। डाटासेटों के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाने से सामाजिक कल्याण में सुधार हो सकेगा, लोगों को बेहतर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा, और एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति का लोकतांत्रीकरण किया जा सकेगा।

VISION

अध्याय 5 : मत्स्य न्याय का समापन: निचली न्यायपालिका की क्षमता कैसे बढ़ाएं

(Ending Matsyanyaya: How To Ramp Up Capacity In The Lower Judiciary)

विषय-वस्तु

इस अध्याय में मामलों की निपटान अवधि, लंबित अवधि जैसे मानकों के आधार पर न्यायपालिका के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है। इसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 100 प्रतिशत मामला निस्तारण दर (case clearance rate: CCR) प्राप्त करने के साथ-साथ लंबित मामलों (स्टॉक) के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता और कार्यक्षमता वर्धन का विश्लेषण किया गया है। इसमें विधि के शासन (दंडनीति) को समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण और मत्स्यन्याय (अर्थात् मत्स्य/जंगलराज) के विरुद्ध एक रक्षण-साधन के रूप में माना गया है।

प्रस्तावना

- भारतीय न्यायिक प्रणाली में **3.53 करोड़** से अधिक मामले लंबित (सर्वोच्च न्यायालय में 0.16 प्रतिशत, उच्च न्यायालय में 12.30 प्रतिशत और **अधीनस्थ न्यायालय में 87.54 प्रतिशत**) हैं।
- दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता तथा वस्तु एवं सेवा कर को अपनाने जैसी कई कार्रवाइयों के बावजूद, न्याय व्यवस्था में देरी और लंबित मामलों के कारण आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है।
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (EODB) रैंकिंग में सुधार के समक्ष **अनुबंधों के प्रवर्तन** से सम्बंधित समस्या एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

भारतीय न्याय प्रणाली का परिदृश्य

लंबित मामले (Pendency)	निस्तारण (Disposal)	मामलों के निस्तारण की दर (CCR)
• **संख्या-वार -** जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (D&S courts) में **कुल लंबित सिविल और आपराधिक मामले क्रमशः 28.38% और 71.62% हैं।** • **निस्तारण अवधि -** जिला और अधीनस्थ दोनों न्यायालयों में सिविल एवं आपराधिक मामले **लगभग समान हैं। 64% से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।** • जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में **औसत लंबित मामलों में अंतर-राज्य भिन्नता अत्यधिक है।** • सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य (यद्यपि सदैव नहीं) सबसे निर्धन राज्य भी हैं।	• **74.7 प्रतिशत सिविल मामलों और 86.5 प्रतिशत आपराधिक मामलों का निस्तारण तीन वर्ष की अवधि के भीतर कर दिया जाता है।** • पुनः, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में **मामलों के निस्तारण में अत्यधिक अंतर-राज्य भिन्नता विद्यमान है।** सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य (यद्यपि सदैव नहीं) सबसे निर्धन राज्य भी हैं। • **काउंसिल ऑफ यूरोप के सदस्यों के औसत (2016) की तुलना में 2018 में भारतीय जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल एवं आपराधिक मामलों का औसत निस्तारण समय क्रमशः 4.4 गुना और 6 गुना अधिक था।**	• जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में CCR 2015 में 86.1 प्रतिशत की तुलना में 2017 में बढ़कर 90.5 प्रतिशत हो गई, लेकिन 2018 में पुनः गिरकर 88.7 प्रतिशत हो गई। • CCR के 100 प्रतिशत से कम होने के कारण, मामले निरंतर लंबित हो रहे हैं और इसलिए लंबित ममलों में वृद्धि ही रही है।

मामला निस्तारण दर (CCR)

- यह किसी दिये गए **वर्ष में निस्तारित मामलों की संख्या तथा उस वर्ष में दायर किये गए मामलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।**
- इसका उपयोग मुख्य रूप से दायर **मामलों के अनुपात में प्रणाली की दक्षता को समझने** हेतु किया जाता है।

विधिक गतिरोध को कैसे समाप्त किया जा सकता है?

- न्यायपालिका को और अधिक कुशल बनाने के लिए, निम्नलिखित दो मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है:
  - प्रथम, **100 प्रतिशत निस्तारण दर प्राप्त करना** ताकि मौजूदा लंबित मामलों में और अधिक वृद्धि न हो।
  - द्वितीय, न्याय व्यवस्था में पहले से मौजूद लंबित मामलों का निस्तारण करना।
- यह दृष्टिगत रखते हुए कि मामले निरंतर दायर किये जायेंगे, हमें निस्तारण दर में वृद्धि करनी चाहिए। सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त दोनों मुद्दों के समाधान हेतु अतिरिक्त न्यायाधीशों (वर्तमान दक्षता पर) की आवश्यकता है:

अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता	वर्तमान स्थिति	प्रतिवर्ष अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता	पांच वर्षों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय	निस्तारण दर: 89%	2279	8152
उच्च न्यायालय	निस्तारण दर: 88%	93	361
उच्चतम न्यायालय	निस्तारण दर: 98%	1	8

अतिरिक्त न्यायाधीश कैसे आबंटित किए जाते हैं?

इससे यह समझना आसान होगा कि किस प्रकार के मामले में अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।

- **मामलों के प्रकार:** आपराधिक मामलों का बैकलॉग सिविल मामलों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है और CCR भी निम्न है। इसका तात्पर्य यह है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों को इन मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा सके।
- **जीवन-चक्र विश्लेषण:** इसका उपयोग मामलों के विलंब के कारणों की इस आधार पर पहचान करने के लिए किया जा सकता है कि इस प्रकार के विलंब का कारण प्रक्रियात्मक अक्षमताएं हैं या मानवीय और भौतिक संसाधनों की कमी है। उदाहरण के लिए, ई-न्यायालय के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश समय 'LCR/R और P' (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड – अभिलेख और कार्यवाही) स्तर पर लगता है। **विशिष्ट स्तरों पर मामलों के विलंब को लक्षित करके** सिविल और आपराधिक दोनों मामलों से संबंधित प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सकती है।
- **राज्य-वार CCR:** प्रत्येक राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका में दायर किए जाने वाले नये मामलों की निस्तारण क्षमता में अत्यधिक भिन्नता (गुजरात में 100 प्रतिशत से अधिक और बिहार में 55.58 प्रतिशत CCR) विद्यमान है। अतः **अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में कुछ राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।**

भारतीय न्यायालयों को और अधिक कार्यशील बनाना

रिक्तियों को भरने के अतिरिक्त, दक्षता में सुधार की अत्यधिक संभावना है। न्यायपालिका की उत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी सुझाव निम्नलिखित हैं-

- **कार्य-दिवसों की संख्या बढ़ाना:** इस बात का प्रायः उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्यायालय छुट्टियों के कारण लंबी अवधि तक बंद हो जाते हैं। कार्य-दिवसों की संख्या में वृद्धि से उच्चतम न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है, लेकिन निचली अदालतों (अधीनस्थ न्यायालय में कार्य-दिवसों की संख्या लगभग सरकारी कार्यालयों के कार्य-दिवसों के समान है) पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना कम ही है।
- **भारतीय न्यायालयों और अधिकरण सेवाओं की स्थापना:** एक प्रमुख समस्या न्यायालयों की प्रणाली, विशेष रूप से बैक-एंड कार्य-प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के प्रशासन की गुणवत्ता से संबंधित है। यह प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने हेतु महत्वपूर्ण है।

इस संदर्भ में, भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवा (ICTS) नामक एक विशेष सेवा के सृजन का प्रस्ताव रखा गया है। उदाहरण के लिए, USA, UK जैसे अन्य देशों में भी इसी तरह की न्यायालय प्रबंधन सेवाएं मौजूद हैं। ICTS द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिकाएँ -

- न्यायपालिका के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहायक कार्य करना।
- प्रक्रिया संबंधी अक्षमताओं की पहचान करना और न्यायपालिका को विधिक सुधारों के संबंध में परामर्श देना।
- प्रक्रिया को पुनर्संरचित (process reengineering) करना।

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** इस दिशा में एक प्रमुख प्रयास विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई **ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना** है जिसे विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (NJDG**) का सृजन संभव हो सका है। यह प्रणाली पहले से ही अधिकांश मामलों, उनकी स्थिति और प्रगति से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम है। वर्तमान में मामलों का डिजिटलीकरण होने से हितधारक व्यक्तिगत मामलों और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकते है।

निष्कर्ष

विधि के शासन की संस्कृति का समस्त अभिशासन में प्रसार किया जाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि यदि इसे सीमित रखा जाता है तो इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। एक सुव्यवस्थित कानूनी प्रणाली के संभावित आर्थिक और सामाजिक लाभों को देखते हुए, इससे सम्बंधित सुधारों को नीति-निर्माताओं द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

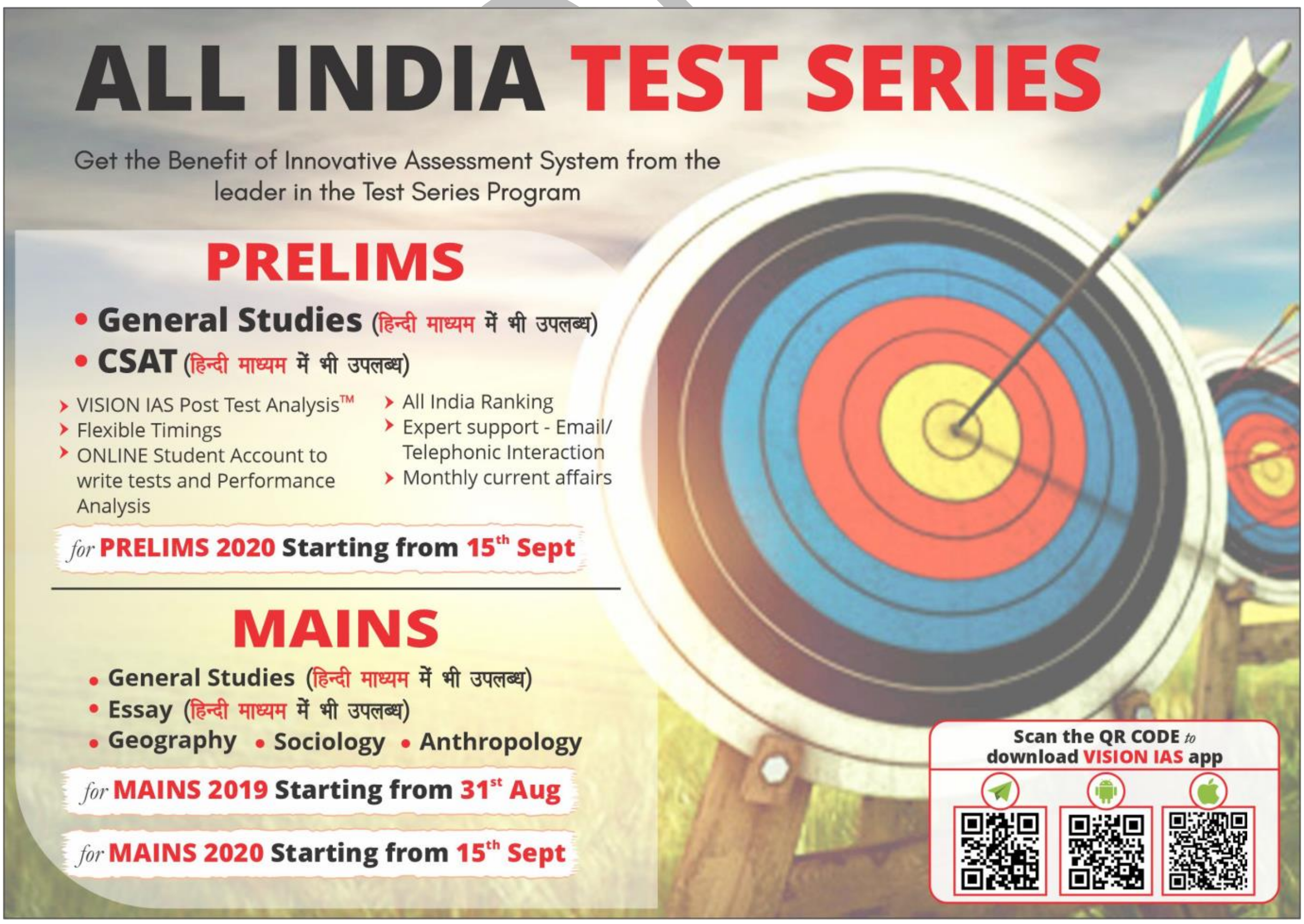

अध्याय 6 : नीति की अनिश्चितता निवेश को कैसे प्रभावित करती है?

(How Does Policy Uncertainty Affect Investment?)

विषय-वस्तु

इस अध्याय के अंतर्गत **आर्थिक नीति की अनिश्चितता** और व्यवसाय एवं निवेश पर इसके प्रभावों का वर्णन किया गया है।

यह आर्थिक नीतियों में निश्चितता की आवश्यकता पर बल देता है, चूँकि पिछले दशक में भारत और विश्व की नीतियों में इसका सामान्यतः अभाव रहा है। हालांकि निकट अतीत में **भारत इस प्रकार की प्रवृत्ति (आर्थिक नीति) से पृथक हुआ है** और भविष्य में निवेशकों के लिए अनुकूल परिवेश बनाये रखने के लिए इसे जारी रखने की आवश्यकता है।

परिचय

- नीति निर्माताओं को मूल रूप से अनिश्चित परिवेश में नीति निर्धारण करना पड़ता है। आर्थिक अनिश्चितता के विभिन्न कारकों में आर्थिक नीति की अनिश्चितता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसी अनिश्चितता को संदर्भित करती है जिसे नीति निर्माता नियंत्रित कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप वे आर्थिक गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं।
- जब नीति निर्माण इस सर्वे (आर्थिक समीक्षा) में प्रस्तुत व्यापक दृष्टिकोण और रणनीतिक रूपरेखा के अनुरूप होता है, तो **निवेशक, नीति के लिए उत्तरदायी तर्क से सम्बद्ध हो सकते हैं** और इसलिए वे नीति में होने वाले परिवर्तन से विचलित नहीं होते हैं।
- इसके विपरीत, यदि व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जाती है या उस रूपरेखा से बाहर नीतिगत परिवर्तन हो जाते हैं, तो ऐसे नीतिगत परिवर्तन निवेशकों के मन में आशंकाएं उत्पन्न कर सकते हैं और उससे अर्थव्यवस्था में निवेश प्रभावित हो सकता है।

नीति अनिश्चितता को मापना

- चूंकि अनिश्चितता को सहज रूप से मापा नहीं जा सकता, अतः आर्थिक नीति की अनिश्चितता को मापना भी कठिन है।
- हालाँकि सामान्यतः डेटा एनालिटिक्स में प्रगति और विशेष रूप से टेक्स्ट एनालिटिक्स (text analytics) में प्रगति ने सामान्य रूप से अनिश्चितता की मात्रा को निर्धारित करना और विशेष रूप से आर्थिक नीति अनिश्चितता को निर्धारित करना सम्भव बना दिया है।
- तीन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों – स्कॉट रौस बेकर, निक ब्लूम और स्टीवन जे डेविस ने एक **आर्थिक अनिश्चितता सूचकांक (EPU)** विकसित किया है।
- व्यवसायों से संबद्ध होने के कारण यह अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति को ट्रैक करता है।
- इसे नीति-सम्बन्धी आर्थिक अनिश्चितता के समाचारपत्र कवरेज की मात्रा को निर्धारित करते हुए तैयार किया जाता है।

भारत में आर्थिक नीति की अनिश्चितता

- भारत में आर्थिक अनिश्चितता को जब EPU सूचकांक के आधार पर मापा गया तो **2011-12 में यह सर्वाधिक पायी गयी थी** जो की **नीतिगत पक्षाघात (policy paralysis)** वाले वर्षों के साथ-साथ जारी रही। जैसा कि आंकड़ों से देखा जा सकता है जुलाई 2012 से इसमें निरपेक्ष रूप से कमी आई है। हालाँकि इसमें विभिन्न अवसरों पर कुछ वृद्धि भी हुई:
    - **2011** और **2012 नीतिगत पक्षाघात** और इसके परिणामस्वरूप उच्च दोहरा घाटा एवं उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण समष्टि आर्थिक अरक्षितता (macroeconomic vulnerability) में वृद्धि हुई।
    - **2013 में** अमेरिकी फेडरल एजेंसी के **'टेपर टैंट्रम'** प्रकरण के कारण पूँजी प्रवाह अस्थिर हो गया तथा डालर के मुकाबले में रुपये का मूल्य ह्रास हुआ।
- हाल ही में, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के और चीन में आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता बढ़ी है, वहीं भारत की आर्थिक नीति में अनिश्चितता में कमी हो रही है। 2018 में यह विचलन अत्यधिक हो गया क्योंकि उसी वर्ष अनिश्चितता सूचकांक 112 से बढ़कर 341 हो गया था, जबकि भारत का स्तर 100 से नीचे ही रहा है।

VISION IAS

- वैश्विक व्यापार अनिश्चितता (अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव, ब्रेक्सिट के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता, अपेक्षाकृत मंद वैश्विक वृद्धि दर) के समय में भी विगत एक वर्ष में भारत का आर्थिक अनिश्चितता सूचकांक अर्थव्यवस्था के लचीलेपन की ओर संकेत करता है।

भारत में आर्थिक नीति की अनिश्चितता और निवेश के बीच सम्बन्ध:

- निवेश संबंधी निर्णय की **दो प्रमुख विशेषताएं** अनिश्चितता की मुख्य भूमिका को चिह्नित करती हैं। प्रथम, निवेश दूरंदेशी गतिविधि का द्योतक है। द्वितीय, यह अपरिवर्तनीय (irreversible) है। इस प्रकार, निवेश पर **आवश्यक प्रतिफल,** निवेश के अंतर्निहित **व्यवस्थित जोखिम के साथ सकारात्मक रूप से सम्बद्ध होता है।** अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढने से यह व्यवस्थित जोखिम बढ़ जाता है। और इस प्रकार निवेश को उचित ठहराने के लिए आवश्यक प्रतिफल की दर बढ़ जाती है।
- फलस्वरूप, अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ने पर अपेक्षाकृत कम प्रतिफल देने वाली परियोजनाएं अव्यवहार्य हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि निश्चित निवेश अपरिवर्तनीय है, अतः अनिश्चितता जोखिम विरोध में वृद्धि करती है, जोखिम उठाने के लिए मांगा गया प्रीमियम बढ़ जाता है और अंततः निवेश निरुत्साहित हो जाता है।

Figure 1: Economic Policy Uncertainty in India

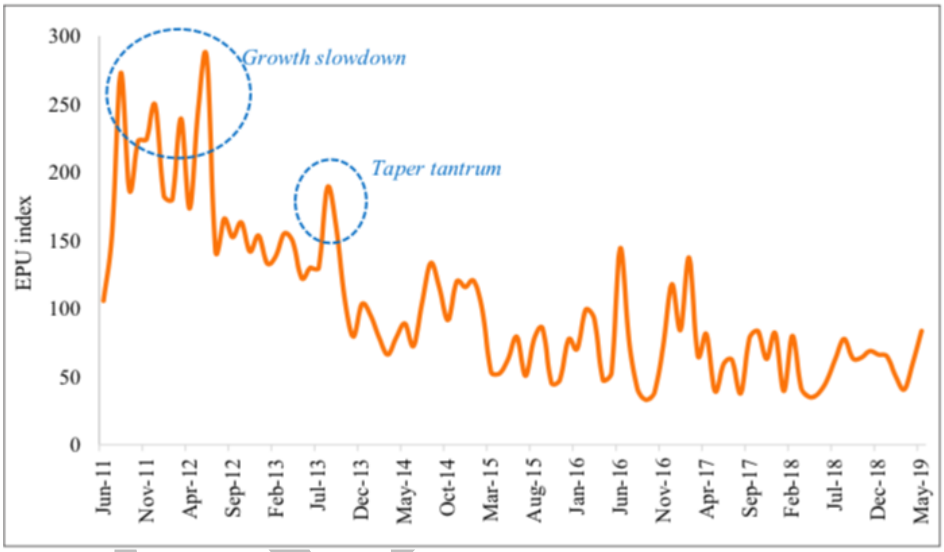

- निवेश के साथ आर्थिक नीति में अनिश्चितता का सम्बन्ध दो चैनलों के माध्यम से हो सकता है:
  - पहला, निवेश वृद्धि का आर्थिक अनिश्चितता के साथ **प्रत्यक्ष संबंध।**
  - दूसरा, EPU का अन्य चरों के साथ सम्बन्ध जो **निवेश को प्रभावित करते हैं।**
- **वैश्विक संकट** के कारण 2007-08 में **37%** के स्तर पर रही **अचल निवेश दर** आगामी दस वर्षों में गिर कर **27%** प्रतिशत हो गयी थी। हाल ही में यह बढ़कर **28%** हो गयी है।
- **दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016** के कार्यान्वयन और बैंकों के पुर्नपूंजीकरण के पश्चात दोहरी बैलेंस शीट की समस्या का निरन्तर समाधान निवेश को प्रोत्साहित करने में सहायक रहा है।
  - ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, FDI उदारीकरण नीति में स्पष्टता आदि उपायों के माध्यम से व्यावसायिक परिवेश में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करके भी आर्थिक नीति की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है।
- इस शोध के अनुरूप आर्थिक नीति में अनिश्चितता में किसी भी प्रकार की वृद्धि भारत में लगभग पांच तिमाहियों के लिए निवेश में वृद्धि को कम करती है। अनिश्चितता में एक मानक विचलन वृद्धि से निवेश वृद्धि दर में लगभग एक प्रतिशत अंक की गिरावट हो जाती है। इस प्रकार, **आर्थिक नीति अनिश्चितता देश में निवेश के परिवेश को आर्थिक रूप से प्रभावित करती है।**

विभिन्न कारक और निवेश से उनका सम्बन्ध:

- **मुद्रास्फीति–** मूल्य में वृद्धि से निवेश में वृद्धि होने की संभावना होती है क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यवसायों को निवेश करना तब तक लाभदायक प्रतीत होता है जब तक उपभोग मांग, मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ होती है।

- **विदेशी निवेश–** FDI और FII के प्रवाह को विनिमय दर की अस्थिरता से नकारात्मक रूप से संबंधित माना जाता है।
- **क्षमता का उपयोग–** इसका संभवतः निवेश वृद्धि के साथ सकारात्मक सम्बन्ध होता है, क्योंकि पिछली तिमाही में अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमता मौजूदा तिमाही में नए निवेश की आवश्यकता को कम कर सकती है।

नीतिगत अनुशंसाएं:

- नीति निर्माताओं को **पूर्वानुमेय नीतिगत कार्रवाई करनी चाहिए,** जो नीति के मंतव्य पर आगे का मार्गदर्शन करे, आगे के मार्गदर्शन के साथ वास्तविक नीति में व्यापक स्थिरता को बनाए रखे और नीति के कार्यान्वियन में अस्पष्टता को कम करे। जैसे- मौद्रिक निगरानी समिति तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबन्धन अधिनियम द्वारा व्यवसायों को निर्देशित करने हेतु परिभाषित सीमाएं निर्धारित की गयी हैं।
- **अनिश्चितता का मापन – क्योंकि 'जो मापा जाता है उस पर कार्यवाही की जाती है',** इसलिए आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक की नीति निर्माताओं द्वारा तिमाही आधार पर उच्चतम स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए। सरकार को राजकोषीय नीति से उत्पन्न आर्थिक नीति अनिश्चितता को रोकने के लिए आर्थिक नीति अनिश्चितता **उप-सूचकांक** के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **नीति निर्माण प्रक्रियाओं में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना– अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन** के माध्यम से नीति निर्माण में प्रक्रियाओं का गुणवत्ता आश्वासन सरकार में भी उसी प्रकार से लागू किया जाना चाहिए जैसे निजी क्षेत्र में लागू किया जाता है।

अध्याय 7 : वर्ष 2040 में भारत की जनसंख्या: 21वीं शताब्दी के लिए सरकारी प्रावधान की आयोजना

(India's Demography at 2040: Planning Public Good Provision For The 21st Century)

विषय-वस्तु

इस अध्याय में हाल ही के जनसांख्यिकीय रुझानों पर चर्चा की गयी है जैसे निकट भविष्य में जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, आयु सरंचना और निहितार्थों (स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और श्रम बल) में परिवर्तन आदि। इस अध्याय के अंतर्गत सरकार की नीतियों को अनुमानित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलित करने पर बल दिया गया है।

Figure 1: Annual Population Growth Rate in India (per cent)

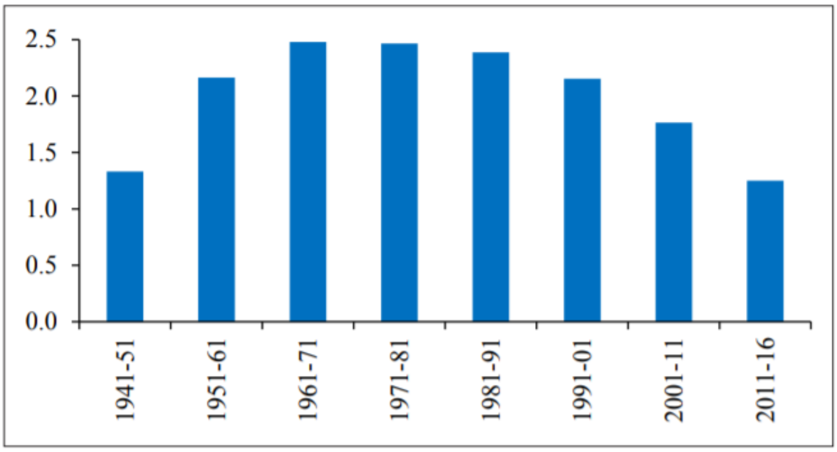

Source: Census 2011, International Institute for Population Sciences (IIPS) estimates.

हाल के जनसांख्यिकीय रुझान

- हाल ही के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हुई है। यह 1971-81 की 2.5% की वार्षिक दर से **घटकर** 2011-16 में अनुमानित रूप से 1.3% हो गयी थी।
- **इस अवधि के दौरान सभी प्रमुख राज्यों में जनसंख्या वृद्धि में उल्लेखनीय कमी हुई है;** बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में विशेष रूप से कमी हुई। कुछ राज्यों में तो वृद्धि दर 1% से भी कम रही है।
- इस रुझान का मुख्य प्रेरक 1980 के दशक के मध्य से **भारत की कुल प्रजनन दर (TFR)** में हो रही गिरावट है, जो 1984 के 4.5 से घटकर **2016 में 2.3** हो गयी।
- प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में TFR में गिरावट की गति मंद रही है।
- इससे यह भी ज्ञात होता है कि भारत ने तथाकथित जनांकिकीय लाभांश के चरण में प्रवेश किया है– अगले दो दशकों में धीमी जनसंख्या वृद्धि के साथ कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या की भागीदारी में वृद्धि होगी।
- **वर्तमान में TFR 22 प्रमुख राज्यों में से 13 में प्रतिस्थापन स्तर के प्रजनन से नीचे है।**
- दक्षिणी राज्य, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र जनसांख्यिकीय संक्रमण में पहले से ही अधिक उन्नत हैं:
  - TFR पहले से ही प्रतिस्थापन स्तर के प्रजनन से नीचे है;
  - जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण पहले से ही जारी जनसंख्या वृद्धि की गतिशीलता है;
  - 59 वर्ष या अधिक की आयु की जनसंख्या 10% से अधिक है; और
  - 20 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कुल जनसंख्या का एक-तिहाई है।

कुल प्रजनन दर (TFR) का तात्पर्य है- एक महिला के जीवन काल में उसकी प्रजनन शील आयु में जन्म लेने या जन्म लेने की संभावना वाले बच्चों की कुल संख्या।

- प्रति महिला 2.1 बच्चों की TFR को प्रतिस्थापन स्तर के प्रजनन के रूप में वर्णित किया जाता है, जो जनसंख्या के प्रतिस्थापन के लिए एक महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या है।

VISION IAS

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जनसंख्या का अनुमान

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जनसंख्या और इसकी आयु सरंचना का 2041 तक के लिए अनुमान किया गया है, जिसमें उन 22 प्रमुख राज्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिनका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 98.4 प्रतिशत योगदान था।

- **प्रजनन (गर्भधारण) दर में गिरावट:**
  - वर्ष 2021-41 तक के कुल प्रजनन दर के अनुमानित मानक प्रदर्शित करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र गिरावट जारी रहेगी और **यह वर्ष 2021 तक ही प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से घट कर 1.8 के नीचे पहुंच जाएगी** और लगभग 1.7 के स्तर पर स्थिर हो जाएगी। **2031 तक सभी राज्यों में प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर्ज किया जायेगा।**
  - **प्रजनन क्षमता में गिरावट के कारण:** महिला शिक्षा में वृद्धि, विवाह करने की आयु में वृद्धि, परिवार नियोजन के उपायों तक पहुंच और शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट।
    - पिछले दशकों में जहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रमों ने प्रजनन दर में गिरावट में प्रमुख भूमिका निभाई है, वहीं ये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पिछले 10-15 वर्षों में ही सामने आए हैं।

प्रतिस्थापन स्तर की प्रभावी प्रजनन दर

- जन्म के समय लिंगानुपात का औसत मान लगभग 1.05 है अर्थात् प्रति 100 बालिका शिशुओं पर जन्म लेने वाले बालक शिशुओं की संख्या 105 है। अतः जब प्राकृतिक स्तर से तुलना करें तो जनसंख्या में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर 2.1 के सामान्य मानदंड से अधिक है, अर्थात विषम लिंगानुपात के कारण, जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने हेतु एक महिला को 2.1 से अधिक बच्चों को जन्म देना होगा।
- **विषम लिंगानुपात के कारण प्रतिस्थापन स्तर की प्रभावी प्रजनन दर निम्नलिखित हो सकती है:**
  - लगभग 1.11 के लिंगानुपात के साथ भारत के लिए 2.15–2.2;
  - लगभग 1.15-1.20 के लिंगानुपात के साथ हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों के लिए 2.2-2.25 तथा
  - शेष राज्यों के लिए 1.07-1.14 के लिंगानुपात के साथ 2.1-2.2 के बीच।
- **22 प्रमुख राज्यों में से 14 में वर्तमान TFR पहले से ही प्रतिस्थापन स्तर की प्रभावी प्रजनन दर से नीचे हैं।**

- **जनसंख्या वृद्धि का प्रक्षेप पथ:**
  - **जनसंख्या गतिशीलता** और **जीवन प्रत्याशा में निरंतर वृद्धि** के कारण आगामी दो दशकों में TFR में गिरावट के साथ, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की संभावना व्यक्त की गयी है।
  - आगामी दो दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रहेगी यह वृद्धि 2021-31 के दौरान 1% से भी कम, और 2031-41 के दौरान 0.5% से भी कम रहेगी।
  - **जनसांख्यिकी संक्रमण में आगे रहने वाले राज्यों में जनसंख्या वृद्धि में निरंतर गिरावट आएगी और यह 2031 -41 तक लगभग शून्य विकास दर तक पहुंच जाएगी। तमिलनाडु की जनसंख्या 2031-41 के दौरान घटना प्रारंभ हो जाएगी (आंतरिक प्रवास अधिक नहीं होने की स्थिति में)।**

VISION IAS

- **आयु सरंचना में परिवर्तन:**
    - भारत के युवा अर्थात् **0-19 वर्ष की जनसंख्या** में पहले से ही गिरावट शुरू हो गयी है और इसके **2011 के 41% के स्तर से घटकर 2041 में 25% तक पहुँचने का अनुमान है।**
    - **60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की वृद्ध** जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होगी, जो 2011 के 8.6% के स्तर से लगभग दोगुनी हो कर 2041 में 16% हो जाएगी।
    - **भारत का जनसांख्यिकी (जनांकिकीय) लाभांश 2041 तक उच्चतम होगा,** जब कार्यशील आयु वर्ग अर्थात् 20-59 वर्ष की जनसंख्या में भागीदारी 59% तक पहुँचने की सम्भावना है।
- **कार्यशील जनसंख्या के निहितार्थ:**
    - भारत की कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या में 2041 तक निरंतर वृद्धि होगी।
    - NSSO के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत में 15-59 वर्ष आयु वर्ग के लिए श्रम बल भागीदारी लगभग 53% है (जिसमें 80% पुरुष और 25% महिलाएं हैं)। इस प्रक्षेपण पथ के अनुसार, 2021-31 के दौरान 9.7 मिलियन कार्यशील जनसंख्या और 2031-41 के दौरान 4.2 मिलियन कार्यशील जनसंख्या के लिए अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त नौकरियों/व्यवसायों का सृजन करना होगा।
    - 2031-41 के दौरान **22 प्रमुख राज्यों में कार्यशील जनसंख्या का आकार घटने लगेगा,** जिनमें दक्षिणी राज्य, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित हैं।
    - बढ़ती कार्यशील आयु वाली जनसंख्या वाले राज्य वृद्ध आयु वाले कई राज्यों में श्रम की कमी को पूरा कर सकते हैं। सामान्यतः वर्तमान प्रवास चलन इस पद्धति का अनुसरण करता है।

बढती आयु के नीति पर प्रभाव

घटक	**अनुमान**	**निहितार्थ / चुनौतियाँ**	**समाधान / आगे की राह**
प्राथमिक विद्यालय	भारत में 2021 और 2041 के मध्य विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या में 18.4% की गिरावट होगी।	प्रति विद्यालय कम नामांकन वाले (50 से कम) विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।	प्राथमिक विद्यालयों (1-3 किमी की परिधि में स्थित) का समेकन/विलय, ताकि नए विद्यालयों की स्थापना की बजाय मौजूदा विद्यालयों को व्यवहार्य बनाया जा सके।
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ	• 2041 तक कुल जनसंख्या बढ़कर लगभग 1510.2 मिलियन हो जाएगी। • वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि होगी (2011 के 8.6% के स्तर से बढ़कर 2041 में 15.9% हो जाएगी)।	• **अस्पताल में प्रति व्यक्ति बिस्तरों की उपलब्धता-** उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में अस्पतालों में बिस्तरों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सबसे कम है। • जरा-चिकित्सा (वृद्धजनों की चिकित्सा) सेवाओं तक पहुंच। • आवश्यक आंकड़ों (विशेष रूप से निजी अस्पतालों से संबंधित) की कमी।	• उच्च जनसंख्या वाले राज्यों में **चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।** • उच्च जनसांख्यिकीय संक्रमण वाले राज्यों में जरा-चिकित्सा के अपेक्षाकृत अधिक प्रावधान। • **चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान के लिए बेहतर डेटा संग्रह और योजना निर्माण।**

VISION IAS

सेवानिवृत्ति की आयु	वर्तमान में भारत में 60 वर्ष की आयु पर स्वस्थ जीवन प्रत्याशा 12.9 वर्ष है (पुरुषों के लिए 12.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 13.3 वर्ष)। **पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि जारी रहने की सम्भावना है।**	सेवानिवृत्त कार्यबल का पेंशन निधि पर दबाव बढ़ रहा है।	**पुरुषों और महिलाओं दोनों की ही सेवानिवृत्त होने की आयु को बढ़ाना।** इस बदलाव का अग्रिम रूप से संकेत दिया जाना चाहिए (प्रत्याशित बदलाव से एक दशक पूर्व) ताकि इसके लिए कार्यबल को तैयार किया जा सके। यह पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रावधानों को अग्रिम रूप में नियोजित करने में भी सहायक होगा।

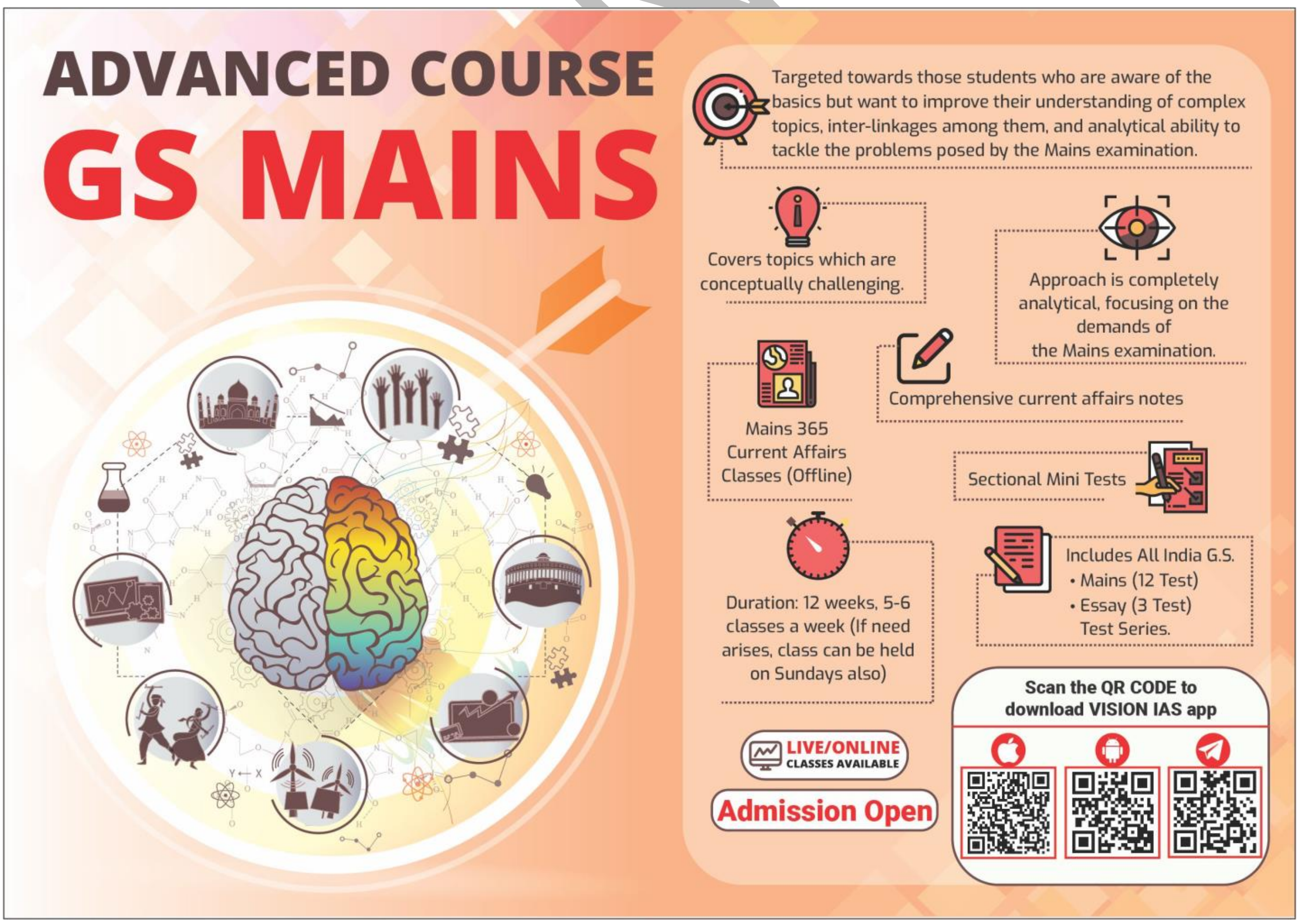

अध्याय 8 : स्वस्थ भारत के माध्यम से स्वच्छ भारत से सुन्दर भारत: स्वच्छ भारत मिशन का एक विश्लेषण

(From Swachh Bharat To Sundar Bharat Via Swasth Bharat: An Analysis of The Swachh Bharat Mission)

विषय-वस्तु

इस अध्याय का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के विभिन्न पहलुओं – इसकी सफलताओं विशेषतः स्वास्थ्य और उससे संबंधित लागतों, स्वच्छता की ओर व्यावहारिक परिवर्तन, लैंगिक सशक्तीकरण के प्रेरक तथा भौतिक प्रगति और आवंटित निधि के संदर्भ में विश्लेषण करना है। यह मिशन के कार्यान्वयन को सशक्त बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (SBM)

- **SBM के तहत बहु-आयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **सामुदायिक भागीदारी:** स्वामित्व और निरंतर प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शौचालयों का निर्माण करने में लाभार्थी/समुदायों की समुचित भागीदारी (वित्तीय रूप से अथवा अन्य रूप से) सुनिश्चित करना।
  - **विकल्प में नम्यता:** प्रयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं और स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागतों के निहितार्थ के साथ प्रौद्योगिकीय विकल्पों की एक उदाहरणात्मक सूची उपलब्ध कराई गई है।
  - **क्षमता निर्माण:** SBM आधारभूत स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जिलों की संस्थागत क्षमता में वृद्धि करता है तथा परिणामों को मापने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं में सुधार करता है।
  - **व्यवहार में परिवर्तन:** समुदायों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कार्यकलापों का क्रियान्वयन करने हेतु राज्य-स्तरीय संस्थाओं के निष्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना। जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देना, सोच बदलने पर ध्यान देना, घरों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, सामूहिक सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए सामुदायिक व्यवहार में परिवर्तन लाना तथा मांग सृजन करना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन गतिविधियों पर बल प्रदान करना।
  - **व्यापक प्रतिबद्धता:** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा निजी संस्थाओं, व्यक्तियों और समाज-सेवियों से अंशदान स्वीकार करने के लिए SBM के तहत स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की गई है।
  - **प्रौद्योगिकी का प्रयोग: सोशल मीडिया और मोबाइल एप्स जैसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग** से नागरिकों को देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए शौचालयों की उपलब्धता की जांच करने में सहायता प्राप्त होती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत **लगभग 90% शौचालयों हो पहले ही जियो-टैग किया जा चुका है।**
- **SBM को वित्तीय आवंटन :**
  - SBM के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) के निर्माण के लिए **12,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा इसमें जल-भंडारण की व्यवस्था करना शामिल है।**
  - **SBM के लिए वर्ष 2014-15 से कुल 51,314 रूपए आवंटित किये गए हैं।** इसमें से 95.3% राशि जारी भी की जा चुकी है।
  - **SBM की अधिकांश पहलें तथा उनकी संबंधित लागतों का व्यय सामुदायिक और घरेलू स्तर पर किया जाता है।** केंद्र के कुल अंशदान का लगभग 8% सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार संबंधी लागत पर व्यय होता है, जबकि शेष 92% घरेलू शौचालयों और हाथ साफ़ करने के स्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने पर व्यय होता है।
- **दर्ज़ प्रगति:**
  - **भारत के लगभग 98.9% भाग को SBM के दायरे में शामिल किया जा चुका है।** अक्टूबर 2014 से संपूर्ण देश में **9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों** का निर्माण किया जा चुका है (14.06.2019 तक)। वर्ष 2014 से 2018 तक निर्मित कुल

VISIONIAS

पारिवारिक शौचालयों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र प्रगति हुई है। यह संख्या आरंभ में प्रति वर्ष 50 लाख से कम पारिवारिक शौचालयों से बढ़कर प्रति वर्ष 3 करोड़ शौचालय तक पहुँच गई है।

- SBM में मुख्य रूप से **गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) करने पर बल दिया गया है।** दिनांक 29.05.2019 की स्थिति के अनुसार 5,61,014 ग्राम (93.41%), 2,48,847 ग्राम पंचायत (96.20%), 6,091 प्रखण्ड (88.60%) तथा 618 जिले (88.41%) ODF घोषित किए जा चुके हैं।
- **ODF दर्जे के आधार पर राज्यों में तुलना:** गोवा में ODF कवरेज (5.84%) न्यूनतम है, उसके पश्चात उड़ीसा (45.36%) का स्थान आता है। अनेक राज्यों ने 100% ODF दर्जा प्राप्त कर लिया है।
- **IHHL कवरेज:** अधिकांश राज्यों में 100% IHHL कवरेज की स्थिति प्राप्त कर ली गई है तथा कुछ राज्यों के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना शेष हैं।
- **व्यवहार में परिवर्तन: राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARRS) 2018-19 में यह पाया गया है** कि **96.5%** ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय उपलब्ध हैं, **तथा वे उसका प्रयोग करते हैं।** NARRS ने **90.07% गांवों के ODF दर्जे की अभिपुष्टि की है।**
- **ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM):** यह SBM का अन्य महत्वपूर्ण घटक है। विगत चार वर्षों में SLWM के तहत केंद्रीय हिस्से के व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है।

- इस संदर्भ में, अनेक राज्यों ने अपशिष्ट संग्रह केंद्रों का निर्माण, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यकलाप, जैव-गैस संयंत्रों की स्थापना जैसे अनेक कार्यकलाप आरंभ किए हैं।

स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के संबंध में SBM का विश्लेषण

- बेहतर स्वच्छता का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों के रूप में दृष्टिगोचर होना चाहिए। SBM के क्रियान्वयन के पश्चात से डायरिया, मलेरिया, मृत शिशु जन्म तथा जन्म के समय कम भार वाले मामलों में कमी आई है।
  - डायरिया और मलेरिया को कम करने में **स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका है,** निमोनिया और डायरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एकीकृत कार्य योजना के तहत की गई गतिविधियों जैसे **अन्य कारकों** ने भी मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

SBM के प्रभाव – कुछ स्वतंत्र अध्ययन

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) ने पांच राज्यों – कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में बाल स्वास्थ्य और पोषण के प्रमुख संकेतकों के संबंध में ODF स्थिति के प्रभाव को समझने के लिए **स्वच्छता स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन हेतु अध्ययन किया।**
  - ODF दर्जा प्राप्त करने का बाल स्वास्थ्य और पोषण पर **सकारात्मक प्रभाव** पड़ा।
- स्वच्छता और डायरिया से होने वाली मृत्यु दर से संबद्ध नवीनतम प्रमाणों पर आधारित स्वास्थ्य लाभों का आकलन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा किए किये एक अध्ययन नामतः **"स्वच्छ भारत मिशन – वर्धित स्वच्छता कवरेज से संभाव्य स्वास्थ्य प्रभावों के प्रारंभिक आकलन"** किया गया।
  - SBM के आरंभ से अब तक अस्वच्छता के कारण होने वाली मृत्यु दर में वर्ष 2017-18 में लगभग 50,000 तक गिरावट आई है।
- **MoDWS के ओर से UNICEF द्वारा कराये गए एक अन्य हालिया अध्ययन** में SBM के आर्थिक प्रभावों (लाभों) का आकलन किया गया।
  - **ODF ग्राम में प्रत्येक परिवार** को रोगग्रस्त होने की अपेक्षाकृत कम संभावना के कारण **प्रतिवर्ष** औसतन **50,000 रूपए की बचत हुई।**
  - **किसी घरेलू शौचालय से होने वाली वित्तीय बचत** उस परिवार की वित्तीय लागतों की तुलना में 1.7 गुना तक बढ़ जाती है। निर्धनतम परिवारों के लिए, यह मान औसतन 2.4 गुना तक बढ़ जाता है।

VISION IAS

- **भौतिक पर्यावरण पर SBM के प्रभावों के दृष्टिगत UNICEF द्वारा** MoDWS के साथ मिल कर **मल संदूषण के संबंध में कराए गए एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया कि ODF ग्रामों के** औसतन भूमिगत जल, मृदा, खाद्य पदार्थों और घरेलू पेयजल के संदूषित होने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी।

SBM का महत्व

- यह मिशन विद्यालय, सड़कों, उद्यानों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर लैंगिक विशिष्ट शौचालयों के निर्माण के माध्यम से **लैंगिक विभेद को समाप्त करने हेतु एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है।** इस **सार्वजनिक अभियान का विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन अनुपात में वृद्धि होने तथा स्वास्थ्य मानकों में सुधार आने से** समाज पर अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- इस मिशन से भारत के नागरिकों में **व्यापक व्यवहारवादी परिवर्तन आया है**। यह मिशन लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करके **राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं** को दर्शाता है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे **वर्ष 2030 के वैश्विक सतत विकास एजेंडा तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDG) विशेष रूप से SDGs 6.2 -** "वर्ष 2030 तक महिलाओं और बालिकाओं तथा सुभेद्य वर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देकर- सभी के लिए पर्याप्त और समतुल्य स्वच्छता एवं सफाई तक पहुँच स्थापित करना तथा खुले में शौच को समाप्त करना" के भी समरूप बनाया गया है।

आगे की राह

स्वच्छ भारत का स्वप्न अनेक पहलुओं - व्यक्तिगत घरों के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की संस्कृति को बनाए रखकर, जल निकायों को साफ़ रखकर, वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक की चुनौती का समाधान, वायु प्रदूषण नियंत्रण आदि का समाधान करके ही साकार किया जा सकता है।

- सृजित संवेग तथा व्यवहारवादी परिवर्तन को बनाए रखने के लिए, मूलभूत स्तर पर "परिवर्तन के एजेंटों" की प्रेरणा, क्षेत्रीय एजेंटों को प्रशिक्षण प्रदान करने, अभियान को आगे बढ़ाने और विशेष तौर पर स्वास्थ्य लाभों के संबंध में अभियान संचालित करने तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए **स्वच्छता एम्बेसडरों** की नियुक्ति, उपयोगकर्ताओं से प्रणालीगत फीडबैक प्राप्त करने जैसी अन्य कार्यवाहियां निरंतर संचालित करनी होंगी। **सीवर निर्माण तथा जल की उपलब्धता** पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- SBM के तहत **ठोस और तरल अपशिष्टों के 100% निपटान का लक्ष्य प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।** वर्तमान में, कई राज्य इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। इस मिशन का आगामी एजेंडा अपशिष्ट के सुरक्षित एवं प्रभावी निपटान के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर केंद्रित होना चाहिए।
- केंद्र तथा राज्यों के मध्य औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार, जल-निकासी जैव-उपचार, नदियों के तल की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता, रिवर फ्रंट विकास, वृक्षारोपण तथा जैव विविधता संरक्षण आदि जैसे समन्वित कार्यकलापों के अतिरिक्त, **नदियों की सफ़ाई** इस स्वच्छ भारत अभियान का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- **वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ सोच में परिवर्तन को सुनिश्चित करना होगा।** नवाचारी वित्तपोषण तंत्रों उदाहरणार्थ, सूक्ष्म-वित्तपोषण, रियायती ऋण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और स्थानीय सरकारी वित्तपोषण के अनुरूप क्राउड फंडिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। **निजी भागीदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व,** विशिष्ट संदर्भों में, निधियों के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **स्वच्छ भारत पर्यावरण हितैषी हरित भारत भी होना चाहिए।** SBM में दीर्घावधिक स्थिरता और सुधारों के लिए पर्यावरणीय और जल-प्रबंधन मुद्दों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए, भविष्य में शौचालय तथा स्वच्छता अवसंरचना में निवेश के लिए स्थिरता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को शामिल करने तथा पर्यावरण-हितैषी स्वच्छता प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

अध्याय 9 : किफायती, भरोसेमंद और सतत ऊर्जा के माध्यम से समावेशी विकास को संभव बनाना

Enabling Inclusive Growth Through Affordable, Reliable And Sustainable Energy

विषय-वस्तु

यह अध्याय किफायती, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा के माध्यम से भारत की विकास संभावनाओं को रेखांकित करता है। इसमें किफायती ऊर्जा के संबंध में ऊर्जा की निम्न स्तरीय पहुंच का समाधान करने और ग्रामीण-शहरी अंतराल को पाटने की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की गई है। विश्वसनीय ऊर्जा के संबंध में, यह सर्वे अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि करते हुए कोयला आधारित विद्युत का समर्थन करता है। इस अध्याय में ऊर्जा उपयोग की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष बल देते हुए ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

समृद्धि के लिए ऊर्जा

- आर्थिक विकास के प्रारंभिक वर्षों में, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए अधिक प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- भारत में विश्व की 18% जनसंख्या होने के बावजूद, भारत में विश्व की प्राथमिक ऊर्जा के लगभग 6% का ही उपभोग किया जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है।
- निम्नलिखित के अभाव में भारत उच्च-मध्यम-आय वाला देश नहीं बन सकता है -
    - वैश्विक जनसंख्या में अपनी हिस्सेदारी के अनुरूप **वैश्विक ऊर्जा उपभोग में अपनी हिस्सेदारी में तेज़ी से वृद्धि करना**, और
    - किफ़ायती दरों पर आधुनिक व्यावसायिक ऊर्जा तक पर्याप्त **सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना**।
- उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत को:
    - अपने प्रति व्यक्ति उपभोग में 2.5 गुना तक वृद्धि करनी होगी, जो भारत को उच्च-मध्यम आय समूह में शामिल होने में सक्षम बनाएगी।
    - 0.8 के HDI (उच्च मानव विकास) की प्राप्ति हेतु प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में 4 गुना तक वृद्धि करनी होगी।

ऊर्जा तक पहुँच - ऊर्जा की कमी

- ऊर्जा तक पहुँच न केवल स्वयं में, बल्कि अन्य सामाजिक संकेतकों के साथ इसकी संबद्धता के कारण भी महत्वपूर्ण है। किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित **सतत विकास लक्ष्य -7**, अन्य सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी संबंधित है।
- खाना पकाने के ईंधन के रूप में LPG की बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद, विशेष रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों** में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाना पकाने/तापन संबंधी आवश्यकताओं के लिए लकड़ी और गोबर के उपले जैसे **गैर-वाणिज्यिक बायोमास साधनों निर्भर है**। इससे इनडोर वायु की गुणवत्ता खराब होने के कारण **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़** जाती हैं।
    - व्ययों के न्यूनतम पाँच प्रतिशतक (percentile) में शामिल लगभग 81% ग्रामीण परिवारों और 59% शहरी परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में जलाऊ लकड़ी और इसके टुकड़ों का उपयोग किया जाता है।
- यह **इंगित करता है कि आय की कमी की तुलना में, ऊर्जा की कमी की समस्या अधिक व्यापक रही है।**
- स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयास:
    - खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**।
    - सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने तथा सब्सिडी लीकेज को रोकने के लिए **LPG उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL) हेतु 'पहल' नामक योजना**।

VISION IAS

ऊर्जा दक्षता

- अपने ऊर्जा उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के साथ-साथ, भारत यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहा है कि वह एक ऐसे विकास पथ का अनुसरण करे जो सतत विकास को प्रोत्साहित करता हो।
- हाल के दिनों **में भारत की GDP की ऊर्जा गहनता में गिरावट** दर्ज की गई है, जो ऊर्जा उपयोग की दक्षता में वृद्धि को दर्शाती है।
- देश में ऊर्जा दक्षता के लिए **संस्थागत और कानूनी ढांचे** को **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। इसके द्वारा **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** की स्थापना की गयी है। भारत ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। **भारत में ऊर्जा दक्षता बाजार** का कुल आकार 22.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों का प्रभाव: तीन प्रमुख कार्यक्रमों- पैट (PAT), उजाला (UJALA) और स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग की सफलता के माध्यम से,** विभिन्न ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ने ऊर्जा के उपभोग को कम करने के संदर्भ में सफलता प्राप्त की है। इससे ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी आई है और परिणामस्वरूप लागत में कमी हुई है। यह निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित होता है –

Figure 9: Sector Specific Energy Efficiency Schemes

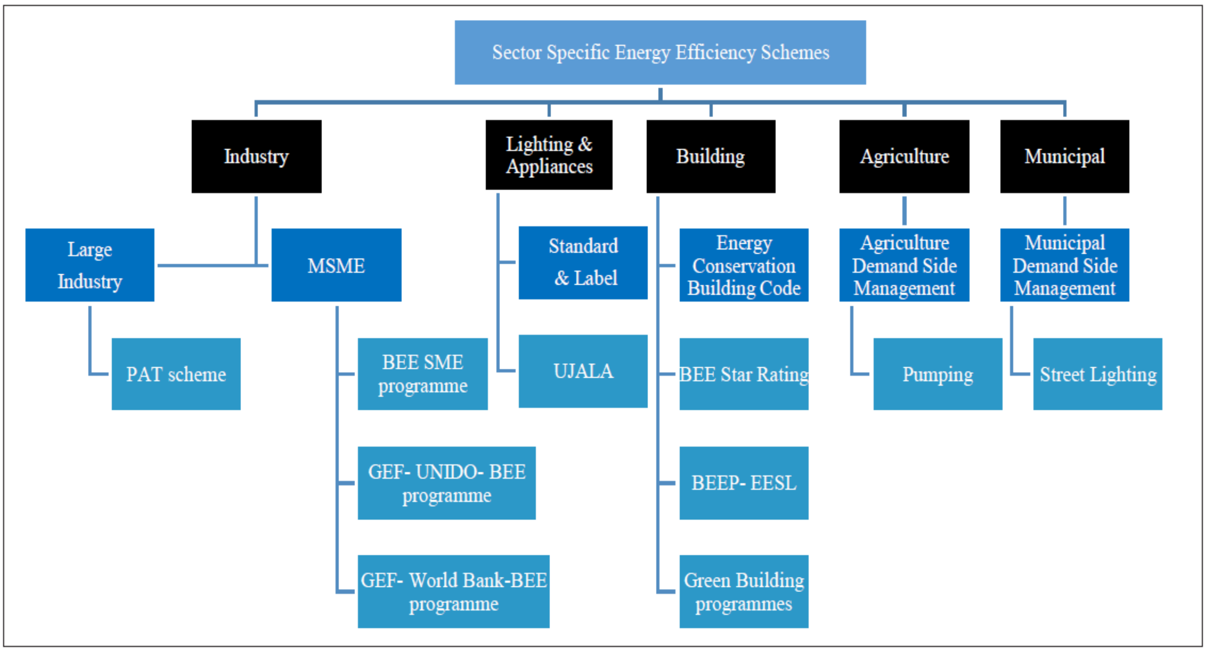

  - 2017-18 में कुल ऊर्जा उपभोग के 7.21% तक ऊर्जा की बचत हुई है।
  - कुल तापीय ऊर्जा की बचत शुद्ध तापीय ऊर्जा उपभोग का 2.7% और शुद्ध ऊर्जा आपूर्ति का 2.0% है।
- **विभिन्न क्षेत्रों की ऊर्जा बचत क्षमता:** विभिन्न प्रयासों और नीतिगत हस्तक्षेपों (मध्यम से तीव्र प्रयासों) के आधार पर भारत में 2031 तक 10-15% ऊर्जा के उपभोग को कम करने की क्षमता है। ज्ञातव्य है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की बचत करने की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है।
- **नीतिगत सुझाव: रणनीतियों के नए पोर्टफोलियो का निर्माण और योजना बनाना,** जिसमें **अनुकूल नियामकीय ढांचा, सुदृढ़ संस्थागत अवसंरचना**, किफायती वित्तपोषण के लिए **नवाचारी वित्तीय संरचनाएँ, प्रौद्योगिकी का** उपयोग और हितधारकों की संलग्नता में वृद्धि करना शामिल हैं।

Figure 12: Share of various energy sources in total Installed capacity in India

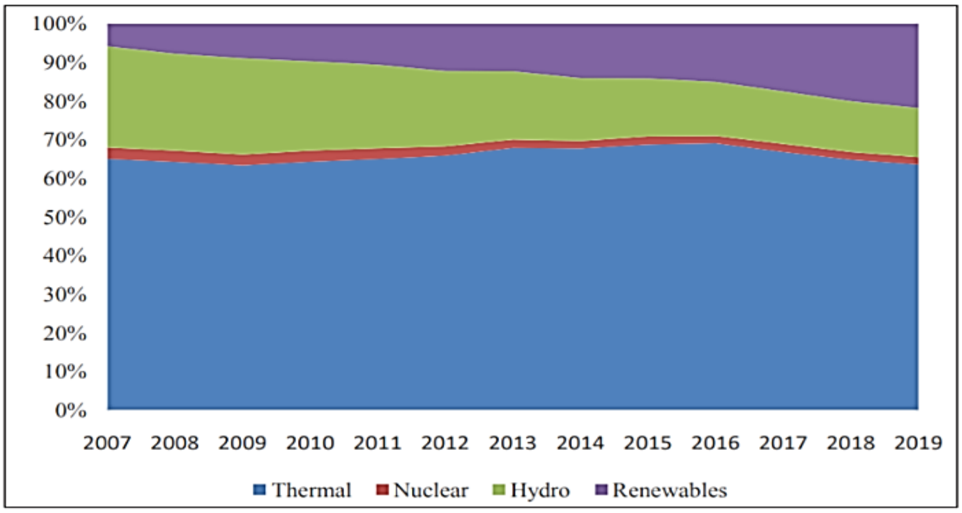

ऊर्जा उत्पादन की निरंतरता

- **विद्युत उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद,** 2018 में वैश्विक स्तर पर 38% बाजार हिस्सेदारी के साथ **कोयला** विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ था।
- **भारत की संस्थापित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत तापीय ऊर्जा** है, जिसका मुख्य घटक कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के पक्ष में तर्क

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से कोयला, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा।

- कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का पूर्ण उपयोग किए बिना उन्हें अचानक बंद कर देना उचित नहीं होगा, चूंकि ऐसा करने से **अत्यधिक पूंजी अनुपयोगी हो जाएगी** और इसका बैंकिंग क्षेत्र (जोकि पहले से ही संकटग्रत है) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- इसके अतिरिक्त, निकट भविष्य में जब तक ऊर्जा भंडारण से संबंधित समुचित तकनीकी उन्नयन नहीं किया जाता है, तब तक नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति की आंतरायिकता (निरंतर आपूर्ति का न होना) पर विचार करते हुए इसकी संभावना कम ही है कि भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में तापीय ऊर्जा को किसी अन्य स्रोत से आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सके।

आगे की राह

देश के स्थायी ऊर्जा उद्देश्यों और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के महत्व को देखते हुए:

- स्वच्छ और अधिक कुशल कोयला प्रौद्योगिकियों हेतु क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- भारत को अपने उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों और अपनी संसाधन अक्षयनिधियों से अपेक्षाकृत **अधिक ऊर्जा उत्पादन** करने की आवश्यकता है।
- कोयला और नवीकरणीय स्रोत, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर विचार करने हेतु एक **व्यापक ऊर्जा नीति बनानी चाहिए,** क्योंकि ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। ये दोनों ही ऊर्जा स्रोत के रूप में एक दूसरे के विकल्प हैं, लेकिन ग्रिड में ऊर्जा संचरण को बनाए रखने में एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि जहां कोयला स्थिर ऊर्जा एक स्रोत है वही नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तनशील हो सकती है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता:** उतरोत्तर घटती लागत, उन्नत क्षमता और विश्वसनीयता ने नवीकरणीय ऊर्जा को स्थायी रूप से ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक आकर्षक विकल्प बना दिया है।

VISION IAS

- ○ भारत **विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है।** वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **जल विद्युत उत्पादन की क्षमता:** भारत में **लगभग 145320 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है,** जिसमें से 45400 मेगावाट का उपयोग किया जा रहा है। विद्युत ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन जलवायु अनुकूल होता है। हालांकि, इसके समक्ष उच्च प्रशुक्ल एक बड़ी बाधा है।
- **अब तक की गई प्रगति-**

कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की भागीदारी (जल विद्युत स्रोतों के अतिरिक्त, 25 मेगावाट से अधिक)	(6% (2014-15)	10% (2018-19)
नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता (जल विद्युत स्रोतों के अतिरिक्त, 25 मेगावाट से अधिक)	35 GW (2014)	78 GW (2019)
सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता	25 MW (2011)	28.18 GW (2019)

अब विश्व स्तर पर भारत पवन ऊर्जा में 4वें, सौर ऊर्जा में 5वें और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर 5वें स्थान पर है।

नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के लिए वर्तमान प्रयास

- लगभग 27 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की जा रही है और 38 GW से अधिक के लिए बोली लगाई गई है।
- केंद्रीय बजट 2018-19 ने घरेलू सौर पैनल निर्माताओं को बढ़ावा देने हेतु सौर पैनलों के निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरणों पर **शून्य आयात शुल्क** की घोषणा की।
- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना** द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सुगम एकीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। 11 **नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र** पहले ही स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।
- **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना** किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में डीजल का उपयोग समाप्त करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने हेतु किसानों की अनुपजाऊ भूमि पर लगभग 2.75 मिलियन सौर पंप और पायलट परियोजना के आधार पर 1 GW क्षमता के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

जल विद्युत उत्पादन के लिए, एक नई जल विद्युत नीति को अनुमोदित किया गया जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- वृहद जल विद्युत परियोजनाओं की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में पहचान करना।
- प्रशुल्कों को तर्कसंगत बनाने के उपाय
- ऋण चुकाने की अवधि में वृद्धि करना
- जल विद्युत परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक के वित्तपोषण के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर बजटीय समर्थन, और
- सड़कों और पुलों जैसे सक्षमकारी अवसंरचना की लागतों का वित्ततपोषण करने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर बजटीय सहायता प्रदान करना।

भारत में विद्युत चालित वाहन (EVs)

- भारत में, **CO_2 उत्सर्जन में** औद्योगिक क्षेत्र के बाद **परिवहन क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।** भारत में परिवहन क्षेत्र के कुल उत्सर्जन में सड़क परिवहन का लगभग 90% योगदान है। इसके अतिरिक्त, वाहनों के स्वामित्व में वृद्धि का तात्पर्य यह भी है कि जीवाश्म ईंधन की मांग में भी वृद्धि हो रही है।

VISION IAS

- इसलिए, यातायात में निरंतरता को धारणीय आधार पर संभव बनाने के लिए वैकल्पिक ईंधनों की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है।
- इससे सरकार की पहलें -
  - **"राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना 2020 (NEMMP)"** की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य 2020 तक विद्युत चालित वाहनों की कुल 60-70 लाख इकाइयों की बिक्री का लक्ष्य प्राप्त करना है।
  - **NEMMP के उद्देश्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने हेतु "विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण (FAME)" के लिए योजना** शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2019 को आरंभ **फेम इंडिया के द्वितीय चरण के तहत सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर बल** दिया जा रहा है।
  - केरल, कर्नाटक आदि कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय नीतियों के पूरक और राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए **इलेक्ट्रिक वाहनों (EV)** संबंधी नीतियों का मसौदा तैयार किया है।
- **भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित आंकड़े:**
  - **इलेक्ट्रिक वाहनों** की बिक्री में प्रमुख हिस्सा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रहा है।
  - भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी अत्यंत कम (मात्र 0.06%) है, जबकि चीन में यह हिस्सेदारी 2% और नॉर्वे में 39% है।
  - **उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों की** सर्वाधिक बिक्री वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा।
- **EVs को तेजी से अपनाने के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ और आगे की राह**
  - **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:** भारत में **चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर** की सीमित उपलब्धता **EV** के विकास में एक प्रमुख बाधा है। इसका मुख्य कारण **EVs की बैटरी की सीमित ड्राइविंग रेंज का होना** है। इसलिए संपूर्ण सड़क नेटवर्क पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करना महत्वपूर्ण है।
  - **चार्जिंग टाइम:** यदि पारंपरिक वाहनों की तुलना में देखें तो **फास्ट चार्जरों को भी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में लगभग आधे घंटे का समय लग सकता है जबकि स्लो चार्जरों को 8 घंटे भी लग सकते हैं।** इसलिए इस प्रकार की अवसंरचना के निर्माण हेतु निवेश में वृद्धि करने के समक्ष संपूर्ण देश में सार्वभौमिक चार्जिंग मानकों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा है।
  - EVs के उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन मानचित्र और भौतिक चिह्नों जैसे अन्य साधनों के माध्यम से **चार्जिंग अवसंरचना और सार्वजनिक चार्जरों से संबंधित सूचनाओं का प्रसार** करने से लोगों में EVs की स्वीकार्यता को बढ़ाया जा सकता है।
  - **बैटरी प्रौद्योगिकी:** चूंकि **बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन का प्रमुख घटक होती है,** इसलिए ऐसी उपयुक्त बैटरी तकनीकों के विकास को अत्यधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है जिनसे भारत में उच्च तापमान की परिस्थितियों में भी बैटरी कुशलतापूर्वक कार्य कर सकती हो।
- **भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावनाएं**
  - **भारत** विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है क्योंकि भविष्य में यहाँ ऑटोमोबाइल की **मांग में वृद्धि होने की संभावना है।**
  - **पर्यावरणीय पहलुओं के प्रति उपभोक्ताओं में बढ़ती जागरुकता और जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं** को देखते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है।
  - **नीति आयोग के अनुसार,** यदि भारत 2030 तक निजी कारों के लिए 30%, वाणिज्यिक कारों के लिए 70%, बसों के लिए 40% और दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 80% **इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री** का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो

VISION IAS

CO_2 उत्सर्जन में कुल 846 मिलियन टन की बचत हो सकती है और 474 MTOE (मिलियन टन्स ऑफ आयल इक्विवैलेंट) तेल की बचत की जा सकती है।

- यदि नीतियां सहायक सिद्ध होती हैं तो यह स्थिति भारत को **इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण केन्द्र के रूप में (EVs के डेट्रायट)** विकसित होने का अवसर भी प्रदान कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि इन नीतियों का लक्ष्य न केवल **इलेक्ट्रिक वाहनों** को खरीदने की अग्रिम लागत को कम करना हो, बल्कि इनके स्वामित्व की समग्र जीवनकाल लागत को भी कम करना हो।

निष्कर्ष

भारत का आर्थिक भविष्य और समृद्धि उसके सभी नागरिकों को किफायती, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा प्रदान करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है।

N IAS

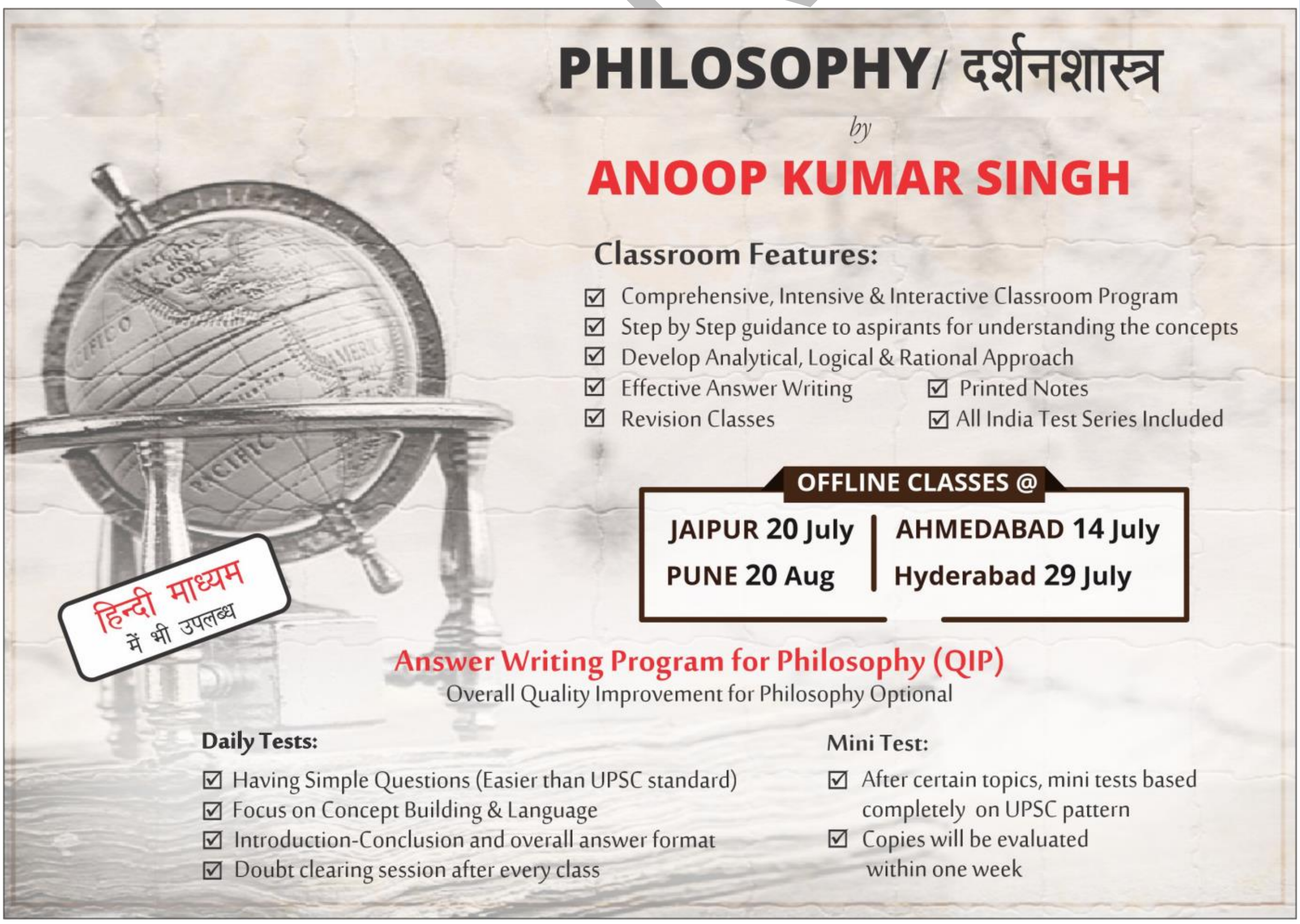

अध्याय 10 : कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग- मनरेगा का मामला

(Effective Use of Technology For Welfare Schemes- Case of Mgnregs)

विषय-वस्तु

इस अध्याय में समग्र शासन में सुधार करने, राज्यों के साथ साझेदारी में सुदृढ़ साक्ष्य आधारित कार्यान्वयन ढांचे का निर्माण करने और कार्यक्रमों के समग्र प्रदर्शन (आउटपुट/परिणाम) में सुधार करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को रेखांकित किया गया है।

परिचय

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005, ग्रामीण क्षेत्रों निर्धन परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए/में रोजगार के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी पर कम से कम 100 दिनों का शारीरिक श्रम प्रदान करके ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए पारित किया गया।
- आरंभ में मनरेगा में कई अक्षमताएं विद्यमान थीं, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, रिसाव और मजदूरी भुगतान में अत्यधिक विलंब शामिल था। वर्ष 2015 में, इसकी समीक्षा की गई और सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बड़े स्तर पर सुधारों को आरंभ किया तथा अधिकाधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने, योजना को सुदृढ़ करने और टिकाऊ उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण पर बल दिया।
- परिणामत:, मनरेगा में अंतर्निहित मजदूरी भुगतान प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया, जिससे भुगतान में विलंब की संभावना कम हो गई। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि -
  - भुगतान में विलंब, वास्तव में अत्यधिक संकटग्रस्त किसानों को मनरेगा से दूर कर सकता है।
  - वास्तविक लाभार्थियों को शामिल करने की प्रक्रिया द्वारा मनरेगा के लक्ष्यीकरण में सुधार करने के माध्यम से व्यथित श्रमिकों द्वारा काम की मांग में वृद्धि की जा सकती है, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से साकार किया जा सकता है।

मनरेगा के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के कार्यान्वयन से पूर्व, मनरेगा की मजदूरी को पंचायत के बैंक खातों में अंतरित किया जाता था और श्रमिकों को ग्राम पंचायत कार्यालय से अपनी मजदूरी प्राप्त करनी पड़ती थी। इसके बाद, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रणाली आरंभ करने का प्रयास किया गया लेकिन इसके समक्ष दो प्रमुख बाधाएं थी:
  - ग्रामीण आबादी के पास बैंक खाते नहीं थे।
  - वास्तविक लाभार्थी का सत्यापन अभी भी एक समस्या बना हुआ था।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अनुमानित लाभ

- समय पर भुगतान रिलीज़ करना (कार्यक्रम के प्रदर्शन में सुधार और लाभार्थियों द्वारा प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होगा)
- वास्तविक लाभार्थियों को सही धनराशि का अंतरण सुनिश्चित करना, जिससे तंत्र में भ्रष्टाचार और रिसाव की संभावना कम हो जाएगी।
- निधियों की सुरक्षा, ट्रैकिंग और निगरानी पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना (डिजिटल हस्ताक्षर/हस्ताक्षरों और अभिसरण/पारस्परिकता का उपयोग किया जाएगा),
- निधियों के अंतरण में शामिल मध्यवर्ती एजेंसियों के मध्य भुगतान के दौरान मिलान की प्रक्रिया (लगभग रियल टाइम ट्रैकिंग, जवाबदेही और पारदर्शिता)
- समस्त लाभार्थी उन्मुख योजनाओं में सत्यापन प्रक्रिया और एक सिरे से दूसरे सिरे (end to end) पर वित्त जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना।

- विभिन्न सरकारी पहलों ने इन समस्याओं का समाधान करने में सहायता की है।

VISIONIAS

- **JAM ट्रिनिटी:** इसने वास्तविक लाभार्थी को समय पर धनराशि का अंतरण सुनिश्चित किया और कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रभावी लक्ष्यीकरण को सक्षम बनाया।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):** इसे वर्ष 2015 में बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया।

Figure 2: Coverage of MGNREGS by DBT

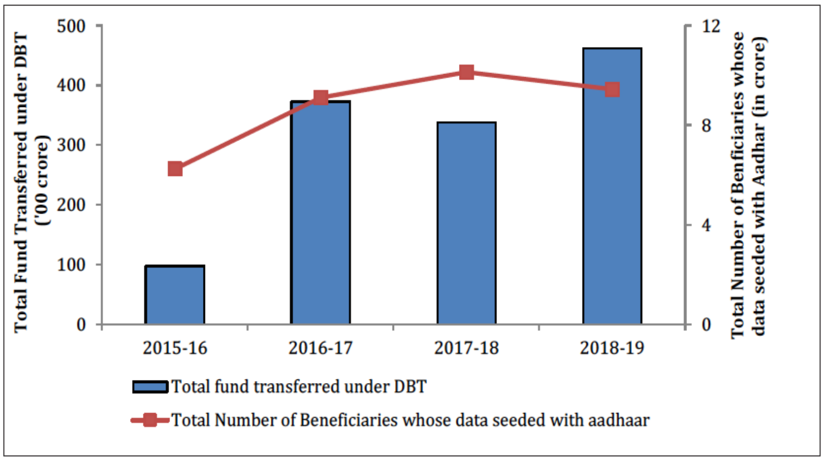

- **आधार:** आधार नंबर को एक सक्रिय बैंक खाते से जोड़ना आय हस्तांतरण को लागू करने का महत्वपूर्ण उपाय था क्योंकि इसने एक विश्वसनीय पहचान स्रोत प्रदान किया।
- **मोबाइल:** मोबाइल भुगतान विकल्पों का विस्तार करके, सरकार कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं को कम करने में सक्षम हुई क्योंकि लोग **मोबाइल फोन** का उपयोग करके बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच स्थापित कर सकते थे ।

- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (NeFMS):** यह वर्ष 2016 में लागू की गई, इसके तहत **केंद्र सरकार ने** राज्य सरकारों द्वारा खोले गए एक विशिष्ट बैंक खाते में **वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी को** जमा किया। वर्तमान में NeFMS 24 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में लागू है। इसने योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को आरंभ किया।
  - इस पहल के परिणामस्वरूप, मनरेगा के **तहत ई-भुगतान** वर्ष 2014-15 में 77.34% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 99% हो गया है।
- **आधार संबद्ध भुगतान (Aadhar Linked Payments: ALP): मनरेगा के अंतर्गत** सभी भुगतानों का लगभग 55.05 प्रतिशत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से होता है। इसने निम्नलिखित दो तरीकों से मजदूरी भुगतान चक्र को तीव्र किया।
  - सरकारी अधिकारियों **को ऐसे खातों के सत्यापन और ऑडिट के लिए कम समय की** आवश्यकता होती है ।
  - केंद्र सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे मजदूरी का अंतरण कर सकती है, जिससे **नौकरशाही की लालफीताशाही को समाप्त किया जा सकता है।**

मनरेगा को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ पहलें

- **नरेगा सॉफ्ट (NREGAsoft):** यह कार्य प्रवाह में स्थानीय भाषा के प्रयोग पर आधारित ई-गवर्नेंस प्रणाली है जो हाजिरी रजिस्टर (मस्टर रोल), पंजीकरण आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड/रोजगार रजिस्टर/मस्टर रोल इशू रजिस्टर, मस्टर रोल रसीद रजिस्टर जैसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराती है अन्यथा जो जनता के लिए प्राप्त करना कठिन होते हैं।
- **जियो मनरेगा (GeoMGNREGA):** यह मनरेगा के सृजित परिसंपत्तियों के डेटाबेस विकसित करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इसमें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित फोटो जियो-टैगिंग और GIS आधारित सूचना प्रणाली जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग किया जाता है।
- **सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए सहयोग:** वर्ष 2015-16 में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के अतिरिक्त और 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई।
- **बढ़ी हुई जवाबदेही:** विभिन्न नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप जैसे ग्राम संवाद मोबाइल ऐप और जन मनरेगा ऐप (मनरेगा परिसंपत्तियों की ट्रैकिंग करने और फीडबैक हेतु ऐप) को विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को जानकारी तक प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करना और लोगों के प्रति जवाबदेही में सुधार करना है।

VISIONIAS

मनरेगा की प्रभावशीलता पर DBT का प्रभाव

- **वर्धित कवरेज:** न केवल अधिक संख्या में लोग कार्य के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, DBT के कार्यान्वयन के पश्चात रोजगार सृजन की दर में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, मनरेगा में 90 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति-दिवसों से कमजोर वर्ग लाभान्वित हुए हैं।
- **मजदूरी का समयबद्ध भुगतान: NREGASoft** के माध्यम से, वर्ष 2014-15 में 26.9 प्रतिशत भुगतान 15 दिनों के भीतर संपन्न हुए, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 90.4 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, ALP के कार्यान्वयन के पश्चात DBT के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक धन प्रवाहित हुआ।
    - ALP अवधि के पश्चात भुगतान में होने वाले विलंब में लगभग एक-तिहाई की कमी आई है।
- **मनरेगा कार्य की मांग:** ALP के कार्यान्वयन से पूर्व, ग्रामीण निर्धनों ने मनरेगा का, कठिन समय में व्यथा निवारक उपाय के स्थान पर अच्छे समय में अतिरिक्त आय अर्जित करने के विकल्प के रूप में उपयोग किया।
    - ALP के पश्चात, यह प्रवृत्ति परिवर्तित हो गई है और संकटग्रस्त क्षेत्रों में कार्य की मांग में वृद्धि देखी गई है।
- **मनरेगा के तहत कार्य की आपूर्ति:** सूखा प्रभावित ब्लॉकों में कार्य की आपूर्ति में 20% की वृद्धि हुई है। इसलिए, ALP द्वारा लाए गए निर्धनता-विरोधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वर्धित राज्य क्षमता, मनरेगा में मांग आपूर्ति अंतराल को संभावित रूप से कम कर सकती है।
- **मनरेगा के तहत किया गया कार्य:** ALP के उपयोग के कारण **मनरेगा के तहत** किए गए वास्तविक कार्यों में भी हुई है।

आगे की राह

उपर्युक्त विश्लेषण के निम्नलिखित नीतिगत निहितार्थ हैं:

- **संकट के संभावित संकेतक:** स्थानीय संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए अलर्ट दर्शाने वाला एक डैशबोर्ड सृजित किया जा सकता है ताकि नीति निर्माताओं को समय पर कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। इसे मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग संबंधी सूचनाओं का उपयोग करके तथा इन सूचनाओं को ग्रामीण संकट उत्पन्न करने वाले मौसम संबंधी तात्कालिक उपायों के साथ सह-संबंधित करके किया जा सकता है।
- **मनरेगा के अंतर्गत 'कार्यों' का विस्तार:** योजना की प्रभावशीलता में और अधिक वृद्धि करने लिए, योजना के अंतर्गत 'कार्यों' की परिभाषा की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार उसे संशोधित किया जाना चाहिए। जैसे- जल संरक्षण मिशनों के अंतर्गत नहरों और जल निकायों को गाद-मुक्त करने से उनकी भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी और बाढ़ की आवृत्ति में कमी आएगी।
- **मनरेगा कामगारों का कौशल-उन्नयन:** इससे उन्हें आय में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होगी, साथ ही उनका क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर विकास भी हो सकता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) के साथ मनरेगा के अभिसरण और उसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि कुशल श्रमबल की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।
- **जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) के उपयोग का अन्य कल्याणकारी योजनाओं तक विस्तार:** नकद लाभ (छात्रवृत्ति या पेंशन) अंतरण वाले कार्यक्रमों के लिए DBT को अपनाना तथा बहिष्करण और समावेशन संबंधी त्रुटियों को कम करने हेतु प्राइस सब्सिडी को सुदृढ़ करना होगा। इससे लोक व्यय को दक्षतापूर्ण बनाया जा सकेगा और प्रभावी तरीके से लक्षित किया जा सकेगा।
- **सूक्ष्म लाभों (micro- benefits) हेतु डिजिटल अवसंरचना का उपयोग:** मनरेगा के अंतर्गत सृजित डिजिटल अवसंरचना का उपयोग माइक्रो-इंश्योरेंस, माइक्रो-पेंशन और माइक्रो-क्रेडिट आदि प्रदान करने के द्वारा कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करने हेतु किया जा सकता है। इसके व्यापक उपयोग से वित्तीय और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा प्राप्त हो सकता है।

VISION IAS

अध्याय 11 : समावेशी विकास के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करना

(Redesigning A Minimum Wage System in India for Inclusive Growth)

विषय-वस्तु

यह अध्याय भारत में **न्यूनतम मजदूरी नीति** की जटिलताओं को रेखांकित करता है तथा समग्र मांग में वृद्धि करने और मध्यम वर्ग का निर्माण करने व उसे अधिक सुदृढ़ बनाने में इस नीति के सामर्थ्य को दर्शाता है। इस प्रकार यह अध्याय संधारणीय एवं समावेशी विकास के एक चरण की शुरुआत के विषय में उल्लेख करता है।

भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली

- भारत न्यूनतम मजदूरी लागू करने वाले विकासशील देशों में ऐसा प्रथम देश है जिसने बहुत पहले ही वर्ष 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू कर दिया था।
- यह अधिनियम **नियमित और अनियमित दोनों प्रकार के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करता** है।
- न्यूनतम मजदूरी दर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा चयनित 'अनुसूचित' रोजगार में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए निर्धारित की जाती है।
- कौशल स्तर, स्थान और व्यवसायों के अनुसार श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है।
- यह अधिनियम **न्यूनतम मजदूरी के स्तर को तय करने के लिए मानदंडों का निर्धारण नहीं करता है।**
- यह अधिनियम **त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्ड** के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें नियोक्ता, अनुसूचित रोजगार के कर्मचारी और स्वतंत्र व्यक्ति शामिल हैं, जो न्यूनतम मजदूरी तय करने में सरकार को परामर्श प्रदान करते हैं।

परिचय

- यदि मजदूरी को एक पर्याप्त स्तर पर निर्धारित किया जाए, तो न्यूनतम मजदूरी रोजगार के स्तर पर किसी व्यापक नकारात्मक निहितार्थ के बिना सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकती है।

Box 1: Timeline of adoption of National Minimum Wage

1969
- First National Commission on Labour.
- Recommendation: National Mimimum Wage is neither 'feasible nor desirable'.

1978
- Bhoothalingam Committee
- Argued for adoption of National Floor Level Minimum Wage to ensure a uniform wage for all workers and enhance protection of the most vulnerable workers and eliminate arbitariness in the determination of level of minimum wages for different States and occupations. Recommendations were mainly for the organized sector.
- Unorganized sector and agriculture were left out.

1991
- National Commision on Rural Labour
- Recommended for a National Floor Level Minimum Wage as wide disparites were prevalent in minimum wages across States.

1996
- Central Government adopted non-statutory National Floor Level Minimum (NFLMW)- ₹ 35 per day was notified.
- This NFLMW is updated regularly as per CPI.
- NFLMW is ₹176 per day w.e.f. 01.06.2017

- विगत 5 वर्षों में, भारत का विकास क्रम निजी उपभोग से संचालित हुआ है। इसलिए, 93 प्रतिशत कामगारों वाली अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक सुनियोजित न्यूनतम मजदूरी प्रणाली आय की असमानताओं को कम कर सकती है, मजदूरी में लैंगिक अंतरों को समाप्त कर सकती है और निर्धनता का उन्मूलन कर सकती है।

भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली से संबंधित मुद्दे

विगत 70 वर्षों में, भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली का विस्तार हुआ है और यह बहुत जटिल हो गई है। इस प्रणाली में अनेक मुद्दे विद्यमान हैं, जो इस प्रकार हैं-

- **इसके कवरेज से संबंधित मुद्दे-** वर्तमान में अकुशल श्रमिकों हेतु लगभग 429 अनुसूचित रोजगार और 1915 अनुसूचित नौकरियों की श्रेणियाँ हैं। नौकरियों की श्रेणियों और मजदूरी दरों में यह व्यापक विस्तार न केवल राज्यों में बल्कि राज्यों के भीतर भी प्रमुख विविधताओं का कारण बना है।
  - जहां मिज़ोरम में अनूसूचित रोजगारों की संख्या 3 है वहीं असम में इनकी संख्या 102 तक है।
- **न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में एक समान मानदंड का अभाव -**
  - कुछ राज्य मजदूरी को एक परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) के माध्यम से निर्वाह व्यय से सम्बद्ध कर देते हैं, जबकि अन्य राज्य ऐसा नहीं करते।
  - अधिसूचित निम्नतम न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिदिन) में भी राज्यवार विविधताएं विद्यमान हैं उदाहरणार्थ- नागालैंड में जहाँ यह 115 रूपए है वहीं दिल्ली में यह 538 रुपये है।
  - राज्यों में **न्यूनतम मजदूरी** (एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की बजाय) के **स्तरों के भिन्न-भिन्न** होने का मुख्य औचित्य यह है कि ये **आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों को प्रकट करते हैं।** हालांकि, आंकड़े दर्शाते हैं कि **अकुशल श्रमिकों के लिए कुछ निम्नतम न्यूनतम मजदूरी दरें अधिक उन्नत व औद्योगिकीकृत राज्यों द्वारा अधिसूचित** की गई हैं।
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम समस्त दिहाड़ी श्रमिकों पर लागू नहीं होता है –** भारत में प्रत्येक तीन में से एक दिहाड़ी श्रमिक इस कानून द्वारा संरक्षित नहीं है। वर्तमान में घरेलू नौकरों जैसे कुछ प्रमुख सुभेद्य वर्गों को केवल 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ही कानून के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी दरों के संशोधन में प्राय: विलंब होता रहा है।
- **लैंगिक भेदभाव की उपस्थिति–** उदाहरण के लिए, घरेलू नौकरों की श्रेणी में महिलाओं की प्रधानता है, जबकि सुरक्षा गार्डों की श्रेणी में पुरुषों की प्रधानता है। यद्यपि ये दोनों ही व्यवसाय अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं, तथापि किसी राज्य में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर सुरक्षा गार्डों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर की तुलना में निरंतर कम बनी हुई है।
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन -**
  - यद्यपि, विभिन्न राज्यों में अधिकांश अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरें राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी दर (NFLMW) से अधिक हो गई हैं, तथापि अभी भी कुछ राज्यों और व्यवसाय/रोजगार श्रेणियों में **मौजूदा न्यूनतम मजदूरी दरें,** वर्ष 2018-19 की स्थिति के अनुसार, **NFLMW से निम्न** हैं।
  - यद्यपि अनुपालन की प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है, परन्तु **अनुपालन में एक लैंगिक अन्तराल विद्यमान है,** जो न्यूनतम मजदूरियों के स्तर पर मौजूद लैंगिक अंतराल के समानांतर है। वर्ष 2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में 39 प्रतिशत पुरुष अनियमित श्रमिकों और 56 प्रतिशत महिला अनियमित श्रमिकों को NFLMW से कम मजदूरी प्राप्त हुई थी।
  - प्राय: यह भी देखा गया है कि **अनुपालन स्तर अनियमित मजदूरी अर्जकों की तुलना में नियमित मजदूरी श्रमिकों** के संदर्भ में अत्यधिक है।

न्यूनतम मजदूरी का प्रभाव

- **मजदूरी स्तरों पर प्रभाव-**
  - हालांकि न्यूनतम मजदूरी निम्नतम भुगतान प्राप्त श्रमिकों के संरक्षण हेतु एक आधार नहीं बन पाई है, तथापि यह एक **'लाइट हाउस प्रभाव'** दर्शाती है, अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक मानदंड के रूप में कार्य करता है, जो न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाकर अल्प-भुगतान वाले और अनौपचारिक क्षेत्रक में मजदूरी में वृद्धि करता है।

- **मजदूरी असमानता पर प्रभाव-**
  - वर्ष 1993 और वर्ष 2011 के मध्य नियमित श्रमिकों के बीच मजदूरी असमानता में वृद्धि हुई है जबकि अनियमित श्रमिकों के बीच इस असमानता में कमी दर्ज की गई है।
  - इसके अतिरिक्त, वर्ष 1993-2011 के दौरान मध्यवर्ती 10 प्रतिशत श्रमिकों तथा निचले स्तर के 10 प्रतिशत श्रमिकों की मजदूरी दर के अन्तराल में निरंतर गिरावट परिलक्षित हुई, जिसने अनियमित श्रमिकों द्वारा **समान स्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया** को पुन: रेखांकित किया है।

VISION IAS

- मजदूरी असमानता की विभिन्न दिशाओं की ऐसी मिश्रित प्रवृत्ति को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNRIGS) मज़दूरियों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, जो न्यूनतम मजदूरी के लिए मानदंड थीं।
- इसलिए, न्यूनतम मजदूरी की बेहतर योजना और प्रभावी कार्यान्वयन से विशेषकर निचले स्तरों पर मजदूरी असमानता के ह्रास की प्रवृत्ति सुदृढ़ होगी।
- यह और भी उल्लेखनीय हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं मजदूरी संवितरण के निचले स्तर के बड़े हिस्से का निर्माण करती हैं।

Box 3 : Use of Technology for Minimum Wage Enforcement- Cross Country Experiences

- In UAE, all enterprises have been legally required to pay wages for both national and migrant workers through banks and other financial service providers. This system allows the Ministry of Labour to have a comprehensive wage database and an electronic wage payment monitoring mechanism for enterprises within the country.
- In South Africa a system, called 'Impimpi Alive', enables workers to send anonymous SMS messages to the Department of Labour (DOL) after which an inspector is dispatched to the employer's place of business within 48 hours.
- In U.S. an app – The Wage & Hour Guide for Employers App – puts federal and state wage and hour laws at the fingertips of employers as well as law makers for better transparency.
- U.S. also has an app – GovDocs Minimum Wage app that provides the most up-to-date minimum wage rate data for all company locations.

रोजगार पर प्रभाव-

- विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी का उभरती हुई अर्थव्यवस्था में रोजगार पर केवल अत्यल्प (अथवा न के बराबर) प्रभाव होता है।
- हालांकि, कुछ अन्य अध्ययन पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए रोजगार स्तरों पर न्यूनतम मजदूरी के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। ये अध्ययन यह भी स्पष्ट करते हैं कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है, वहीं शहरी रोजगार स्तरों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत महत्त्वहीन था।

भावी परिदृश्य

- **मजदूरी संहिता विधेयक** के अंतर्गत यथा प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी के **सरलीकरण और युक्तिकरण** को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस विधेयक में विभिन्न न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों के समामेलन के अतिरिक्त, इस विधेयक द्वारा वर्तमान में मौजूद विविध श्रम अधिनियमों में दी गई मजदूरी की सभी भिन्न-भिन्न परिभाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- **राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण-** केंद्र सरकार को एक "राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी" को अधिसूचित करना चाहिए जो पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। तदनुसार, राज्य न्यूनतम मजदूरी तय कर सकते हैं, जो "राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मजदूरी" से कम नहीं होनी चाहिए। इससे राज्यों में निवेश के लिए श्रम लागत में एकरूपता सृजित करने में सहायता प्राप्त होगी और साथ ही संकट के समय प्रवास की प्रवृत्ति में भी कमी आएगी।
- **न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के मानदंड-** मजदूरी संहिता विधेयक में दो में से किसी एक कारक यथा (i) अपेक्षित कौशल श्रेणी अर्थात् अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल तथा (ii) भौगोलिक क्षेत्र या दोनों कारकों पर आधारित न्यूनतम मजदूरी निर्धारण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन देश में न्यूनतम मजदूरी दरों में एकरूपता का सृजन करेंगे।
- **समावेशन (कवरेज)-** प्रस्तावित मजदूरी संहिता विधेयक द्वारा न्यूनतम मजदूरी को सभी क्षेत्रकों में समस्त रोजगारों/कामगारों के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र शामिल किए जाने चाहिए।
- **नियमित समायोजन-** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक डैशबोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए, जो अधिदिष्ट अवधि से संबद्ध न्यूनतम मजदूरी में किए गए अंतिम परिशोधन की तिथि को दर्शाएगा। इससे सूचनाओं का प्रसार हो सकेगा और प्रणाली में दूरदर्शिता में वृद्धि होगी।
- **प्रौद्योगिकी की भूमिका-** विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन, मोबाइल फोन और नेटवर्किंग तकनीकों के उपयोग से श्रम सांख्यिकी का संग्रह किया जा सकता है तथा विश्लेषण को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। यह विविध मजदूरी वाली जटिल सूचनाओं के संसाधन हेतु श्रमिकों की सहायता कर सकती है और इसका उपयोग उनके लाभ के लिए भी कर सकती है। राष्ट्र स्तरीय

VISION IAS

डैशबोर्ड का राज्यों के साथ तथा सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएसी) के साथ एक अंत: संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि किसी राज्य में, या किसी अधिसूचित क्षेत्र के व्यवसाय में इसका अनुपालन हो रहा है या नही, इसकी तुरंत निगरानी की जा सके।

- **शिकायत निवारण-** किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सरलता से स्मरण किया जा सकने वाला एक टोल-फ्री नंबर होना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

एक प्रभावी न्यूनतम मजदूरी नीति न केवल अल्प-भुगतान प्राप्त कामगारों के संरक्षण के लिए एक उपकरण होगी अपितु एक अधिक लचीले एवं संधारणीय आर्थिक विकास हेतु एक समावेशी तंत्र के रूप में भी कार्य करेगी।

न्यूनतम मजदूरी फ्रेमवर्क को सरलीकृत करने हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयास:

- न्यूनतम मजदूरी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं जो इस प्रकार हैं-
    - **राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी (NFLMW) की घोषणा की गई है;**
    - केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्डों के मध्य **समन्वय** को सुदृढ़ किया गया है;
    - पाँच व्यापक क्षेत्रीय समितियों के साथ **परामर्श के माध्यम से** राज्यों को न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है;
- हालांकि, एक ऐसी साधारण प्रणाली जो अधिक से अधिक श्रमिकों को शामिल करती हो, सभी के लिए सुबोध हो तथा लागू करने में सरल हो, न्यूनतम मजदूरी की प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

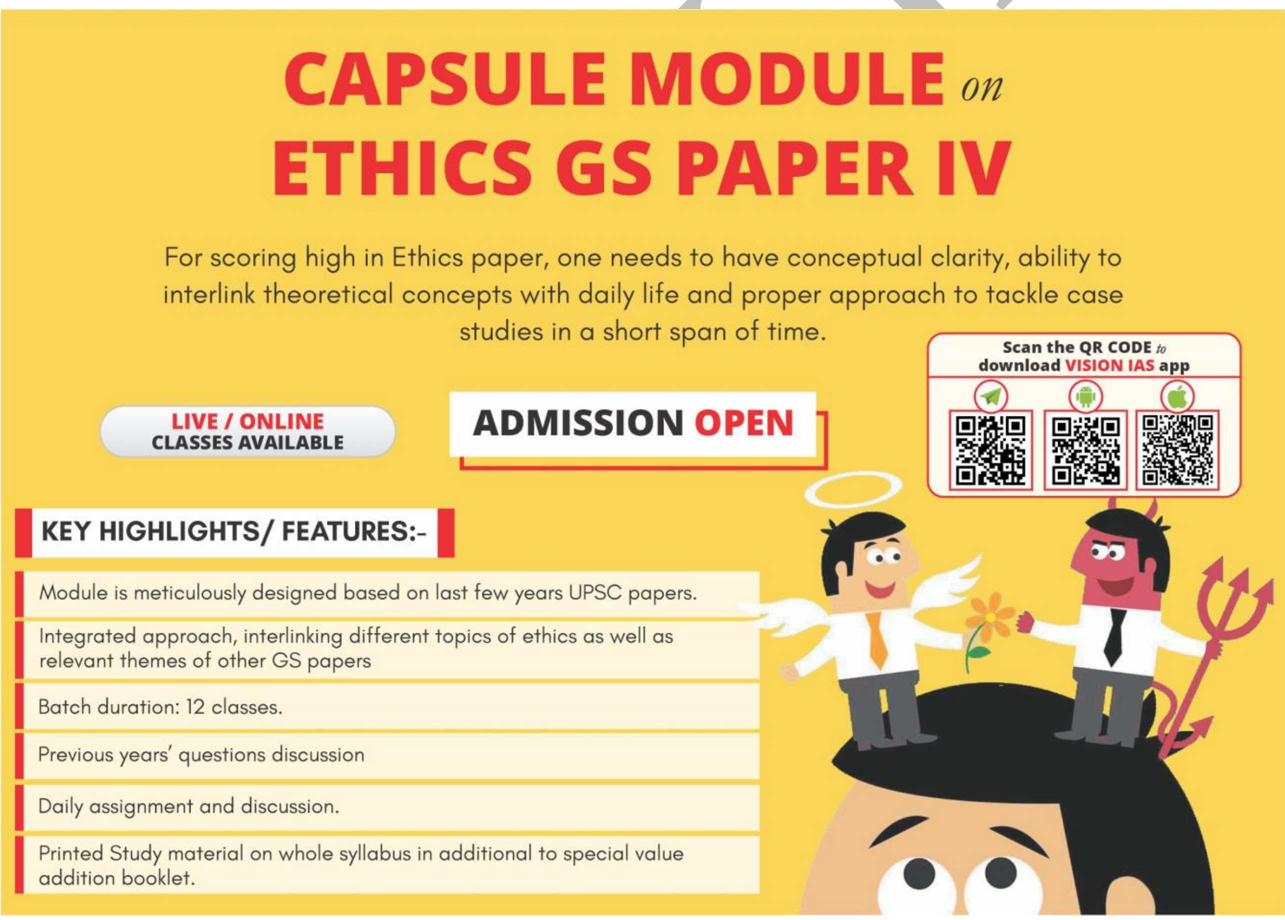

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS